एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

विषय–सूची

		पृष्ठ सं.
1.	निदेशक–मंडल	1
2.	अध्यक्ष का संदेश	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	6
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	36
5.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	37
6.	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	49
7.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा विवरण	50
8.	नकदी प्रवाह विवरण	51
9.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां	52

निदेशक–मंडल (28 दिसम्बर 2016 को)

श्री अश्वनी लोहानी	**अध्यक्ष**
श्री विनोद हेजमाड़ी	निदेशक
सुश्री गार्गी कौल	निदेशक
श्री बी.एस. भुल्लर	निदेशक

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री एच.आर. जगन्नाथ

लेखापरीक्षक

मैसर्स झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

पंजीकृत कार्यालय

एयरलाइन्स हाउस,
113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली–110 001.

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है ।

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड देश की अग्रणी एमआरओ सेवा उपलब्धकर्ता है, जो एअर इंडिया तीसरी पार्टी एअरलाइनों के साथ–साथ रक्षा बलों के बेड़ों में विभिन्न प्रकार के विमानों को लाइन अनुरक्षण तथा मेज़र अनुरक्षण दोनों ही उपलब्ध कराती है । एअर इंडिया के टर्नअरांउड/वित्तीय पुर्नःसंरचना योजना के कार्यान्वयन के पश्चात एअर इंडिया की इंजीनियरी गतिविधियां हटाकर कंपनी को सौंप दी गई। समझौता ज्ञापन के अनुसार, मूल कंपनी अर्थात एअर इंडिया हस्तांतरण की तारीख को चल परिसंपत्तियां (वर्कशॉप, संयत्र एवं मशीनरी तथा औज़ार आदि) कंपनी को हासिल मूल्य पर हस्तांतरित करेगी, जो एअर इंडिया द्वारा किए गए इक्विटी निवेश का भाग होगा । समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी को उसके प्रचालन के तीन वर्षों में 375/– करोड़ रुपए की सीमा तक एअर इंडिया से इक्विटी प्राप्त होने की भी आशा थी, ताकि उसके पूंजी अधिग्रहण कार्यक्रम को सहायता मिल सके ।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, 01 जनवरी, 2015 से एमआरओ के रूप में कंपनी को नागर विमानन महानिदेशालय अनुमोदन सीएआर145 प्राप्त हुआ तथा एअर इंडिया से वित्त वर्ष के आरंभ में चल इंजीनियरी परिसंपत्तियां हस्तांतरित की गई, जो एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड में एअर इंडिया के इक्विटी निवेश का भाग है ।

भारत में अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल (एमआरओ) – अवसर और चुनौतियां

विमान बेड़ों में हो रही बढ़ोत्तरी, महत्वपूर्ण स्थान के लाभ, इंजीनियरी विशेषज्ञता की अधिक उपलब्धता तथा कम श्रम लागतों के कारण वैश्विक एमआरओ हब बनने की व्यापक संभावना भारत में उपलब्ध है। वर्तमान में भारत में प्रचालन करनेवाली एयरलाइन ने उनके एमआरओ कार्य का लगभग 90 प्रतिशत कार्य विदेश में कराती है ।

इसका कारण तुलनात्मक उच्च कर भार, जटिल प्रचालन प्रक्रियाओं तथा भारत में उपलब्ध अपर्याप्त एमआरओ सेवा सुविधाओं के परिणामस्वरूप मुख्य रूप से होनेवाले लागत लाभ है ।

भारत का विद्यमान एमआरओ मार्केट लगभग 750 मिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है। स्वयं बोइंग के अनुसार, अगले 07 वर्षों में 7 प्रतिशत के सम्मिलित वार्षिक वृध्दि दर (सीएजीआर) से इस मार्केट में वृध्दि होगी ऐसी आशा है, जो वर्ष 2020 तक 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचेगा, वर्ष 2020 तक विमान बेड़े की संख्या दुगुनी हो जाने की संभावना के कारण सशक्त अंतरेदशीय एमआरओ उद्योग की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है ।

सशक्त एमआरओ उद्योग अगले 10 वर्षों में निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकेगा :

- ऐरोस्पेस इंजीनियरों तथा अन्य व्यावसायिकों के लिए हजारों नौकरियों का सृजन
- राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय वाहकों को भारतीय एमआरओ की ओर आकर्षित करके विदेशी मुद्रा की बचत तथा अर्जन
- अपनी एमआरओ आवश्यकताओं के लिए भारतीय वाहकों की अन्य देशों पर निर्भरता में कमी
- हर वर्ष भारत में अधिक विमानों को शामिल किए जाने तथा विद्यमान विमान पुराने हो जाने से रोजगार के अवसर, विदेशी मुद्रा में बचत तथा हर वर्ष करों द्वारा अर्जित राजस्व में वृध्दि होगी।
- विश्व के इस हिस्से में भारत को एक आकर्षक एमआरओ हब बनाना ।

वर्तमान में, अंतरदेशीय अनुसूचित वाहक देश के बाहर थर्ड–पार्टी सेवा उपलब्धकर्ताओं को अपनी अधिकतर एमआरओ गतिविधियां आऊटसोर्स करते हैं । यह भारी चिंता का विषय है कि अपने बेड़े के अनुरक्षण के लिए भारतीय वाहक उनके खाली विमान तथा क्रू को समुद्रपार स्थित एमआरओ हब ले जाना लागत प्रभावी समझते है । इस समय, भारतीय एमआरओ मुख्यतः लाइन अनुरक्षण के लिए सक्षम है। हमें अधिक परिष्कृत सुविधाओं का निर्माण करने तथा हमारे कार्यबल की निपुणता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि भारी अनुरक्षण कार्य किया जाए, जो अभी अधिकतर आऊटसोर्स किया जाता है।

भारत में पूरी तरह से विकसित एमआरओ बेस की अनुलब्धता के कारण यूके, जर्मनी, रोमानिया, जॉर्दन, इजरायल, यूएई, श्रीलंका, चायना, सिंगापूर, मलेशिया तथा ऑस्टेलिया जैसे स्थानों पर भारत में पंजीकृत विमानों पर कार्य करने के लिए वर्तमान परिदृश्य में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित लगभग 40 एमआरओ सेवा उपलब्धकर्ता समुद्रपार है जबकि कुछ बड़े वैश्विक एमआरओ सेवा उपलब्धकर्ताओं द्वारा भारत में बेस स्थापित किए जाने की योजनाएं अब तक अस्तित्व में आनी बाकी है ।

नई नागर विमानन नीति तथा एमआरओ परिदृश्य

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 (एनसीएपी 2016) जारी की गई है ।

नई नागर विमानन नीति के अनुसार, भारतीय वाहकों का एमआरओ व्यवसाय 5000 करोड़ रुपए के आसपास है तथा वर्तमान में इसमें से लगभग 90 प्रतिशत का व्यय भारत के बाहर किया जाता है। सरकार भारत को एशिया में एमआरओ हब के रूप में विकसित करने के प्रति उत्सुक है, जिससे विदेशी एअरलाइनों से व्यवसाय प्राप्त किया जा सकेगा ।

वर्ष 2016–17 के लिए बजट घोषणाओं में कई प्रावधान किए गए है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एमआरओ द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों तथा औजारों के किट को सीमा–शुल्क से छूट प्रदान करना ।
- ग्राहक एअरलाइनों से प्राप्त पुर्जों की क्लीयरेंस के लिए एमआरओ के अनुमोदित गुणवत्ता प्रबंधकों द्वारा एक ही बार प्रमाणीकरण किया जाना ।
- एमआरओ कार्य के लिए लाए गए विदेशी विमान को लंबे समय तक रूकने की अनुमति प्रदान करना ।

साथ ही, व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने भी प्रस्तावित है :

- विदेशी एमआरओ/ओईएम विशेषज्ञों के लिए शीघ्र वीजा ।
- भारतीय एमआरओ में सर्विस किए जाने वाले विमान के लिए विदेशी पायलटों को अस्थायी लैंडिंग परमिट ।
- एमआरओ गतिविधियों के लिए शून्य की दर से मूल्यवर्धित कर (वॅट) के लिए राज्य सरकार को सहमत कराना ।
- कुछ वर्षों के लिए एमआरओ सेवा उपलब्धकर्ताओं के लिए एअरपोर्ट रॉयल्टी तथा अतिरिक्त प्रभारों को न लगाया जाना ।

वर्ष के दौरान कंपनी का निष्पादन

कंपनी ने नागर विमानन महानिदेशालय अनुमोदन नागर विमानन नियम सीएआर145 प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं तथा अपनी क्षमताओं के लिए अवसंरचना सुविधाओं, उपरिव्यय तथा जनशक्ति लागत पर व्यय किया है। अपनी योजनाबध्द गतिविधियों/कार्य के लिए नागर विमानन महानिदेशालय लाईसेंस प्राप्त करने हेतु एमआरओ ढांचे को वास्तविक रूप से तैयार रखने के लिए किए गए भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभों के लिए नागर विमानन महानिदेशालय लाईसेंस से सीधे संबंधित माने गए 271.38 करोड़ रुपए के व्यय को कर परामर्शदाताओं की राय के आधार पर वर्ष 2014–15 के दौरान अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीगत किया गया है । पूंजीगत की गई ऐसी अमूर्त परिसंपत्तियों को कोई क्षति न होने के कारण वर्ष 2015–16 के दौरान उक्त के किसी परिशोधन पर विचार नहीं किया गया है ।

एमआरओ निम्न प्रतिफल तथा उच्च प्रतियोगी वातावरण वाला एक गहन पूंजीगत उद्योग है तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर निश्चित उपरिव्यय तथा लाईसैंसधारी जनशक्ति के कारण उंची मजदूरी लागत को देखते हुए भुगतान/लागत आमेलन अवधि काफी लंबी होती है । इसके अलावा, कंपनी को अपने राजस्व के एक बड़े भाग के लिए आंतरिक रूप से एअर इंडिया द्वारा दिए गए व्यापार पर निर्भर रहना पडता है तथापि, थर्ड पार्टी बिजनेस में होनेवाली अपेक्षित वृध्दि तथा एमआरओ उद्योग के लिए भारत सरकार से अपेक्षित प्रोत्साहन के कारण यह अनुमान किया गया है कि एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड अगले कुछ वर्षों में प्रचालनात्मक रूप से लाभप्रद होगी।

विभिन्न सुविधाओं के सेट–अप में लगने वाली उंची श्रम तथा पूंजीगत लागतों के कारण कंपनी को अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों के आरंभ के दूसरे वर्ष में अर्थात कर पश्चात वर्ष 2015–16 के लिए 558.62 करोड़ रुपए की राशि की कुल हानि हुई।

भावी योजनाएं

कंपनी की समुद्रपार भी अपने पदचिन्ह स्थापित करने की योजना है । इस ओर पहले कदम के रूप में एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड शारजाह, यूएई में पहली समुद्रपार शाखा स्थापित करने की प्रक्रिया कर रही है । अनुभव के आधार पर तथा लागत लाभ विश्लेषण की सहायता से अन्य अंतरराष्ट्रीय स्टेशनों तक विस्तार किए जाने के अवसर की जांच की जाएगी । मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में व्यवसाय में वृध्दि तथा नियत पूंजी जनशक्ति लागतों की वसूली के साथ कंपनी लाभप्रदता के मार्ग पर चल सकेगी।

आभार

मैं इस अवसर पर एअर इंडिया लिमिटेड, एअरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय तथा वेंडरों के प्रचुर सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं। बैंकों तथा विनियामक ऐजेंसियों सहित अन्य सभी प्राधिकारियों द्वारा किए गए सहयोग के लिए भी आभारी हूं। बोर्ड के मेरे सहयोगियों द्वारा दिए गए उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए मैं आभारी हूं।

कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा भविष्य में इस कंपनी को लाभप्रद बनाने के लिए दिए गए सहयोग के लिए मैं आभारी हूं।

बोर्ड की ओर से, हमेशा की तरह मैं आपके निरंतर सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

अश्वनी लोहानी
अध्यक्ष

विज़न

विनियामक तथा संरक्षा अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए ग्राहकों को सर्वोत्कृष्ट दर्जे एवं समयबध्द गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना ।

ध्येय

ग्राहक

- संरक्षा के उच्च स्तर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए निवारक तथा सुधारात्मक अनुरक्षण के माध्यम से उड़नयोग्यता की निरंतर स्थिति में रखने के लिए कार्यभार उठाने वाले एअर इंडिया के बेड़े के सभी विमानों का अनुरक्षण करना ।
- ग्राहकों को "एक ही जगह" समाधान अर्थात "वन स्टॉप" सोल्यूशन उपलब्ध कराना ।
- तेज टर्न अराऊंड समय ।
- भारत से तथा भारत के आस–पास के अधिकतम थर्ड पार्टी कार्य प्राप्त करना ।

प्रक्रिया

- नागर विमानन नियम 147 अनुमोदन के अधीन नागर विमानन महानिदेशालय अनुमोदन प्राप्त करना ।
- अपने सभी संस्थापनों तथा सुविधाओं के लिए एफएए तथा ईएएसए अनुमोदन प्राप्त करना ।
- अधिक से अधिक थर्ड पार्टी कार्य के लिए आक्रमक विपणन नीति ।
- उसे विभाग केंद्रित होना चाहिए ताकि सुपुर्दगी किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रत्येक विभागीय प्रमुख ज़िम्मेदार होगा, जिससे समग्र विज़न पूरा किया जा सके ।
- गुणवत्ता लेखा–परीक्षा आदि के माध्यम से गुणवत्ता की निरंतर मॉनीटरिंग ।
- सेवाओं के उन्नयन हेतु निरंतर प्रयास, गुणवत्ता सेवा तथा लागत प्रभाविता के संबंध में उच्चतम ग्राहक संतुष्टि प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण संबंध को दीर्घावधि तक बनाए रखने का सुनिश्चय करना ।
- गुणवत्ता मानक के साथ समझौता किए बगैर विश्व स्तर का एमआरओ बनने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना ।
- कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपस्करों के जरिए क्षमता का उन्नयन तथा बढ़ोतरी ।
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए परस्पर प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों की कुशलता को बहुआयामी बनाना ।
- प्रचालनात्मक लागत को इष्टतम बनाना ।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सभी सदस्य,
एअर इंडिया इंजीनियरी सर्विसेस लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखे तथा कंपनी के व्यवसाय एवं प्रचालन पर बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है ।

1.1 वित्तीय सारांश एवं विशिष्ट बातें

कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है :–

(करोड रुपए में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष
बिक्री एवं अन्य आय	620.27	142.01
कर पूर्व लाभ	– 558.62	–242.57
कर का प्रावधान घटाकर		
कर पश्चात लाभ	– 558.62	–242.57
पिछले वर्ष के लाभ का अग्रानीत किया गया शेष	**– 242.57**	–
तुलन पत्र को अग्रेषित शेष	–801.19	–242.57

1.2 वित्तीय विवरणों अथवा बोर्ड रिपोर्ट के संशोधन का विवरण

कंपनी ने पिछले तीन वित्त वर्षों के संबंध में वित्तीय विवरणों अथवा बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 131(1) में उल्लेख के अनुसार कोई संशोधन नहीं किया है ।

1.3 बोर्ड द्वारा प्रस्तावित आरक्षित की जानेवाली राशि

कंपनी के बोर्ड ने शून्य राशि आरक्षित करने का निर्णय/प्रस्ताव किया है ।

1.4 लाभांश

चूंकि कंपनी ने कोई लाभ अर्जित नहीं किया है अतः निदेशकों ने किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है ।

1.5 वर्ष के दौरान मुख्य घटनाएं

1.5 (क) कंपनी मामलों की स्थिति

एआईईएसएल द्वारा नियंत्रित किए जा रहे बेड़े का विवरण

एआईईएसएल मूल एअरलाइन एअर इंडिया और उसकी सहायक एयरलाइंस एलांइस एयर एवं एअर इंडिया एक्सप्रेस की 135 विमान बेड़े का रखरखाव करती है। 31 मार्च, 2017 को बेड़े का विवरण निम्नानुसार है:

–	बी747 PW 4056 इंजन द्वारा संचालित	–	5
–	बी777–200LR GE90–110 इंजन द्वारा संचालित	–	3
–	बी777–300ER GE90–115 इंजन द्वारा संचालित	–	12
–	बी787–8 GEnx इंजन द्वारा संचालित	–	21
–	ए319 CFM56–5B इंजन द्वारा संचालित	–	22
–	ए320 CFM56–5B/V2500 इंजन द्वारा संचालित	–	24
–	ए321 CFM56–5V इंजन द्वारा संचालित	–	20
–	एटीआर–42 PW121 इंजन द्वारा संचालित	–	3
–	एटीआर–72 PW127 इंजन द्वारा संचालित	–	5
–	सीआरजे सीएफएम 34–8 इंजन द्वारा संचालित	–	3
–	बी737–800 CFM56–7B इंजन द्वारा संचालित	–	17
–	नेटवर्क	–	135

थर्ड पार्टी बिजनेस

- एअर इंडिया एवं उसकी सहायक कंपनियों के निश्चित एमआरओ कार्य के अलावा एआईईएसएल पूरी तरह से इस प्रयास में है कि वो घरेलू और वैश्विक स्तर पर विमानन उद्योग में जबरदस्त विकास का लाभ उठा सके। कई पहल भी किए गए हैं जैसे समर्पित मार्केटिंग टीम (जिसके लिए विशेषज्ञ खुले बाजार से लिए गए), बाजार की स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया, विश्व की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को अपनाना, बाजार की गतिशीलता के अनुकूल नई शर्तों पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति, लाइन अनुरक्षण, बेस अनुरक्षण, केबिन अनुरक्षण को मजबूत बनाना, ग्राहक केन्द्रित अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण आदि ।

- नया थर्ड पार्टी बिजनेस अर्जित करना ।

- रक्षा (वायुसेना एवं जलसेना) से भी व्यवसाय लिया जा रहा है ।

- 2015–16 के दौरान एआईईएसएल ने नए ग्राहक – मेसर्स केन्या एयरवेज, सीईबीएस डिफेन्स सर्विसेज, आईलैंड एविएशन सर्विसेज़, मैक्स एमआरओ सर्विसेज़, सैंटिनेल एरोस्पेस, क्विक जेट कार्गो एविएशन, फ्युचुरा ट्रैवल्स लि., स्कूट सिंगापूर, एयर एशिया और एसटी एरोस्पेस जोड़े हैं। हाल ही में जेट एयरवेज़ और स्पाइस जेट के साथ नए करार पर हस्ताक्षर किया गया है ।

- कुछ अन्य ग्राहक हैः– विस्तारा, सिल्क एयर, कुवैत एयरवेज़, कतर एयरवेज, नेपाल एयरलाइंस, जेट एयरवेज, गो एयर, एहतियाद, सिंगापुर एयरलाइंस, एसआईए कार्गो इत्यादि ।

उपयोगिता / हासिल टीडीआर

एआईईएसएल ने टेक्निकल डिस्पैच रेग्युलेरिटी (टीडीआर) एवं उपयोगिता को वैश्विक विमानन मानक की तुलना में बनाए रखा है । बेड़ा अनुसार टीडीआर एवं उपयोगिता निम्नलिखित हैः–

बेड़े का प्रकार	दैनिक उपयोगिता	टीडीआर
ए319	9.75	99.02
ए320	9.22	98.01
ए321	11.16	99.04
बी747–400	2.97	96.80
बी777–200एलआर	6.89	97.60
बी777–300ईआर	11.78	98.20
बी787–8	12.07	97.90

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 से आज की तारीख तक जेईओसी में उत्पादित इंजनों की संख्या (प्रकारवार) का विवरण निम्नानुसार है:–

माह / वर्ष	जेटी8डी	वी2500	सीएफएम	कुल
अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016	0	15	27	42
अप्रैल, 2016 से जनवरी, 2017	1	10	24	35
कुल	1	25	51	77

नागपुर एमआरओ की स्थिति

- यहां पर 2 वाइड बॉडी हैंगर और 18 बैक शॉप हैं। नागपुर एयरफ्रेम एमआरओ बी777 बेड़े पर भारी मेनटेंनेस चेक्स करने के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदित है। वर्तमान में बी777 के सभी प्रमुख चेक जिसमें "डी" चेक्स भी शामिल हैं यहां पर किए जा रहे है।
- एआईईएसएल नागपुर ए320 बेड़े के रखरखाव के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदित है।
- नागपुर में अत्याधुनिक इंजन एमआरओ पूरा होने वाला है। GE90 के लिए जांच सुविधा 2017 तक तैयार हो जाएगी। GE(90) और जीईएनएक्स के लिए पूरा ओवरहाल शॉप 2018 तक तैयार हो जाएगा। GE(90) और जीईएनएक्स इंजन ओवरहाल वाली विश्व की ऐसी छः जीई ब्रैंडेड सुविधाओं में से एक है।

हैदराबाद एमआरओ की स्थिति

- इस सुविधा का उपयोग कोलकाता / दिल्ली से ए319 / ए320 के मेजर चेक के लिए भी किया जा रहा है।
- हैदराबाद के पास ए320 विमान समूह के सभी मेजर चेक करने की क्षमता है।
- यह सुविधा स्वतंत्र प्रचालन के लिए सभी एक्सेसरी शॉप से लैस है।
- हैदराबाद ATR–72 को मेजर चेक और ATR घटकों की सर्विसिंग सुविधा के लिए तैयारी कर रहा है। विनियामक से नियामक अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

- हैदराबाद में मेसर्स एमबरर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर (ईएएससी), ओईएम सुविधा विचाराधीन है।

कोलकाता सुविधा की स्थिति

कोलकाता में हाल में क्षमता विस्तार

- ए319 विमान का 12 वर्षों तक चेक करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया।
- एटीआर42 विमान के 36000 FC चेक जांच के लिए अनुमोदन प्राप्त किया।
- विंग टाप स्किन इंस्पेक्शन के लिए ओमनीस्कॅन।
- विमान की तौल ।
- विद्यमान ए320 क्लासिक APU (GTCP36300A)के टेस्ट सेल को देश में ही उन्नत किया गया है।
- 02 APU पर इनहाउस कोरीलेशन रन पूरा हो चुका है। हनीवेल से मार्च, 2017 में कोरिलेशन तथा प्रमाणन की प्रतीक्षा है।
- APU सेंटर, मॉडल II में फ्यूल नोजल क्लीनिंग रिंग की कमीशनिंग।
- ए320 समूह विमान बेड़े के हीट एक्सचेंजर (पूरी क्षमता से) की सर्विसिंग।
  - क. प्राइमरी हीट एक्सचेंजर्स, P/N 753A0000XX, 753C0000XX
  - ख. मेन हीट एक्सचेंजर्स P/N 754A0000XX, 754C0000XX, 754D0000XX
  - ग. रीहीटर P/N 755A0000XX, 755C0000XX
  - घ. कंडेसर P/N 756A0000XX
- ए320 समूह के एयर साइकिल मशीन (ACM) P/N 1814A0000XX, 1263A0000 XX की जांच।
- हाई स्पीड ओवन (P/N 3G900999 XXX) की सर्विसिंग
- हॉट कप (P/N JD034006) और हॉट जग (P/N JA003028) की सर्विसिंग
- APU स्टार्टर मोटर (P/N 2704506X) की पूरी सर्विसिंग
- APU स्टार्टर मोटर (P/N 27045062) की पूरी सर्विसिंग

एफएए तथा ईएएसएस अनुमोदित सुविधा

31 मार्च, 2016 तक एआईईएसएल ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) तथा युरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) से प्राप्त एआईईएसएल सुविधा की मान्यता को बनाए रखा है।

बोइंग बेड़े के पास निम्नलिखित FAA सुविधाएं है।

इंजन ओवरहॉल (PW4056/CFM56 इंजन ओवरहॉल, GE90 तथा GEnx इंजन पर सीमित अनुमोदन)

सीओडी : लैंडिंग गियर, पहिए और ब्रेक

बीएमडी : 777 के लिए सी चेक तक हैंगर 3

एओडी : (इंजन एसीसी)

टीआरवी : NDT, व्हील ब्रेक

डीजीसीए द्वारा अनुमोदित मेंटनेंस ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस ने सितंबर, 2015 में नागर विमानन नियम सीएआर 147 के अंतर्गत एमटीओ (मेंटनेंस ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन) के रूप में अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। एआईएएसएल के प्रशिक्षण केंद्र मुंबई, दिल्ली, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद में स्थित हैं।

प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उड़ानों का विवरण

माननीय प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के लिए 15 अतिरिक्त उड़ानें तैयार की गई तथा रखी गईं।

5 (ख) भविष्य की योजनाएं

- वैश्विक बाजार में एक बहुत प्रतिस्पर्धात्मक दर के साथ 5 घंटे की उड़ान की दूरी के एयरलाइनों के एमआरओ बिजनेस पर कब्जा करना।
- विमान और इंजन के लिए TAT (टर्न अरांउड टाइम) को कम करना ।
- विमान इंजनों के लिए ज्यादा थर्ड पार्टी काम प्राप्त करना क्योंकि एआईईएसएल के पास दिल्ली, मुंबई और नागपुर में पूर्ण सुसज्जित सुविधा है जो भारत में विशिष्ट है।
- नागपुर में GEnx इंजन सुविधा का पूरा किया जाना।
- ATR–72 के लिए हैदराबाद में मेसर्स एम्बरर के लिए OEM सुविधा।

2. सामान्य सूचना

दि. 07 अगस्त 2010 को मूल कंपनी एअर इंडिया के निदेशक मंडल की आयोजित बैठक में एआईईएसएल को एक अलग पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एअर इंडिया एवं उसकी सहायक कंपनियों के बढ़ते हुए अनुरक्षण मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) की गतिविधियों के अलावा थर्ड पार्टी उपभोक्ता के रूप में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से प्राप्त वर्क लोड को पूरा करने के लिए अलग लाभ केन्द्र के रूप में अनुमोदन दिया गया। तदनुसार एआईईएसएल के संचालन के लिए दिनांक 06 सितंबर, 2012 को कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त किया गया। विभिन्न सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के पश्चात जनवरी, 2015 में नागर विमानन नियम सीएआर 145 के अंतर्गत डीजीसीए से स्वतंत्र एमआरओ के रूप में प्रचालन करने के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया।

3. पूंजी संरचना : जारी किए गए इक्विटी शेयरों का विवरण

वर्ष के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रूपए थी जिसे 10/– रू. प्रति शेयर के हिसाब से 100 करोड़ के शेयरों में बांटा गया।

वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने एअर इंडिया से परिसंपत्तियों के हस्तांरण के लिए कंपनी की विद्यमान इक्विटी शेयरों को सभी प्रकार से समान रखते हुए स्वत्व के आधार पर रु. 10/– प्रति इक्विटी शेयर रु. 16,66,16,500/– के हिसाब से (सोलह करोड़ छाछठ लाख सोलह हजार पांच सौ केवल) जिनका मूल्य के रु. 166,61,65,000/– के बराबर था एअर इंडिया को आबंटित किया ।

तदनुसार कंपनी की प्रदत्त पूंजी रु. 5,00,000/– से बढ़कर 1,66,66,6500/– हो गई ।

4. प्रबंधन

4.1 निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के निदेशकों की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	कार्यकाल समाप्ति की तिथि
1.	सुश्री गार्गी कौल	निदेशक	06.05.2015	–
2.	श्री रोहित नन्दन	अध्यक्ष	–	31.08.2015
3.	श्री अश्वनी लोहानी	अध्यक्ष	31.08.2015	–
4.	श्री एस. वेंकट	निदेशक	–	31.10.2015
5.	श्री विनोद एस. हेजमाडी	निदेशक	07.12.2015	–

4.2 निदेशक मंडलों की बैठकों की संख्या

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 193 के अनुसार वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की चार बैठकें की, जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है ।

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	28.07.2015	4	4
2.	29.10.2015	4	4
3.	26.02.2016	4	4
4.	31.03.2016	4	3

4.3 समितियों की संरचना तथा परिवर्तनों का विवरण, यदि कोई

लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा समिति गठित करने का अनुमोदन 31 मार्च, 2016 को निदेशक मंडल की 42वीं बैठक में दिया गया एवं 31 मार्च, 2016 के अनुसार उसके निम्नलिखित सदस्य थे:–

1. सुश्री गार्गी कौल – अध्यक्ष
2. श्री बी.एस.भुल्लर – सदस्य
3. श्री विनोद हेजमाड़ी – सदस्य
4. श्री अश्विनी लोहानी – स्थाई आमंत्रित

नामांकन, पारिश्रमिक और स्टेक होल्डर संबंधी समिति

चूंकि एआईईएसएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, मामले को एअर इंडिया द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के पास भेजा गया।

होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाएगा।

4.4 निदेशक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति

नियुक्ति नीति

एआईईएसएल एअर इंडिया लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 97 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम नहीं होगी और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी जिसमें से सभी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल की अवधि निर्धारित करेगी और उनको हटा कर दूसरों की नियुक्ति कर सकती है तथा यदि कोई रिक्त स्थान है तो उसको भर सकती है।

पारिश्रमिक नीति

जून 05, 2015 के अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के कारण एआईईएसएल पर कंपनी के निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में धारा 197 लागू नहीं होती है।

4.5 बोर्ड मूल्यांकन

जून 05, 2015 के अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के कारण एआईईएसएल पर लागू नहीं होती है।

4.6 मूल अथवा सहायक कंपनी से प्रबंध/पूर्ण कालिक निदेशक को प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक

वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई पूर्णकालिक निदेशक नहीं था।

4.7 निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करें कि :–

(क) वार्षिक लेखा तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का अनुसरण करने के साथ–साथ महत्वपूर्ण लेनदेन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है एवं उनको लगातार लागू किया तथा निर्णय एवं आकलन किए हैं जो उचित और दूरदर्शी हों ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लाभ हानि के संबंध में सही और उचित स्थिति बता सकें।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने एवं पहचान करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने रिकार्डों के समुचित लेखांकन तथा रखरखाव की व्यवस्था की है।

(घ) निदेशकों ने ऑन गोइंग कन्सर्न के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

(ड.) कंपनी असूचीगत होने के कारण धारा 134(3) का उपखंड (ई) लागू नहीं होता।

(च) निदेशकों ने एक समुचित प्रणाली तैयार की है ताकि लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा सके तथा ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही है इसको सुनिश्चित किया जा सके।

4.8 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है जिसमें कंपनी की नीतियों को लागू करना, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों से बचाव एवं उनकी पहचान, लेखांकन रिकार्डों की परिशुध्दता एवं पूर्णतः तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना जो कि कंपनी के प्रचालन के अनुरूप हो, शामिल है।

कंपनी ने मेसर्स संजय गुप्ता एंड एसोसिएटस को वित्त वर्ष 2015–16 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। आंतरिक लेखापरीक्षक ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित व्यापक लेखापरीक्षा की है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के वित्तीय रिपोर्टिंग (आईएफसी–एफआर) पर वर्तमान आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के मूल्यांकन हेतु मेसर्स एस.के. वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी को भी नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा चालू वित्त वर्ष के कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना भी आवश्यक है । इस संबंध में जारी रिपोर्ट क्रमशः स्टैंड अलोन एवं संबंधित समेकित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न है।

4.9 धोखाधड़ी से संबंधित प्रकटन

लेखापरीक्षा समिति के लेखापरीक्षक अथवा बोर्ड द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।

5. सहायक कंपनियों, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम से संबंधित प्रकटन

कंपनी के पास कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा एसोसिएट्स कंपनी नहीं है।

6. जमा विवरण

कंपनी (एक्सेपटेंस ऑफ डिपॉजिट) रुल्स, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 76 के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

7. ऋण, गारंटियों एवं निवेशों का विवरण

ऋण, गारंटियों एवं निवेशों का विवरण वित्तीय विवरण में दिया गया है।

8. संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी द्वारा वित्त वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेनदेन व्यवसाय का एक आम हिस्सा थे और सुरक्षित रूप से किए गए ।

9. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकटन

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया है ।

10. कर्मचारियों के पारिश्रमिक का विवरण

कर्मचारियों के विवरण के संबंध में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 197 तारीख 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ङ) एआईईएसएल सरकारी कंपनी होने के कारण लागू नहीं है ।

11. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समामेलन, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

(क) कंपनी ने ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत के संरक्षण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए यथासंभव प्रयास किए हैं ।

(ख) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

	(रू. करोड़ में)
आय	शून्य
व्यय	शून्य

12. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है क्योंकि कंपनी के अस्तित्व को क्षति पहुंचा सकने वाले जोखिम तत्व बहुत कम है ।

13. रेगुलेटर्स के महत्वपूर्ण आदेश

वर्ष के दौरान गोइंग कन्सर्न स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालन पर प्रभाव डालने वाले किन्ही नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्राइब्यूनलों द्वारा कोई महत्वपूर्ण एवं वास्तविक आदेश पारित नहीं किए गए ।

14. सतर्कता व्यवस्था स्थापित किए जाने का विवरण

निदेशकों तथा कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण मामले की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता व्यवस्था स्थापित किए जाने के संबंध में धारा 177(9) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

15. लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए **मैसर्स झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स,** सनदी लेखाकार, मुंबई को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

लेखापरीक्षक रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन या प्रतिकूल टिप्पणी जिस पर स्पष्टीकरण/व्याख्या आवश्यक हो, प्रबंधन के उत्तर सहित **अनुलग्नक 1** में संलग्न है ।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट है तथा अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत कंपनी के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की तारीख 31 मार्च, 2016 की टिप्पणियां, उस पर प्रबंधन के उत्तर सहित **अनुलग्नक** में संलग्न है ।

16. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए श्री जीवन प्रकाश सैनी, सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया था तथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **(फॉर्म नं. एमआर.3) अनुलग्नक** में संलग्न है ।

लेखापरीक्षक द्वारा उसके रिपोर्ट में दी गई क्वालिफिकेशन, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकृति के बारे में बोर्ड का स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी **अनुलग्नक** में संलग्न है ।

17. सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 118(10) के अंतर्गत आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन कंपनी द्वारा किया गया है ।

18. वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के अनुपालन में वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष **अनुलग्नक** में संलग्न है ।

19. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोक, प्रतिनिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटन

वर्ष 2015–16 के दौरान एआईईएसएल में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समिति गठित नहीं की गई ।

वर्ष 2015–16 के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

20. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड ने नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सफलतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया है ।

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों/अपीलों का निपटान करने के लिए अपनी संरचना विकेंद्रित की है।

वर्ष 2015–16 के दौरान 23 निवेदन/अपील प्राप्त हुए और इन सभी का निपटान किया गया ।

आभार

बोर्ड नागर विमानन मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

स्थान : दिल्ली

तारीख : 04.07.2017

अध्यक्ष

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (2015–16)

1. वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

राजस्व

❖ वर्ष 2014–15 के दौरान 142,00,60,809/– रूपए की तुलना में वर्ष के दौरान 620,27,18,323/– रूपए का कुल राजस्व अर्जित हुआ ।

व्यय

❖ पिछले वर्ष के आंकड़े 384,57,36,540/– रूपए की तुलना में वर्ष के दौरान 1180,00,82,834/– रूपए का कुल व्यय किया गया ।

2. भावी दृष्टिकोण

एआईईएसएल वर्तमान में एअर इंडिया लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां अर्थात एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड तथा एअरलाइन्स अलाइड सर्विसेस लिमिटेड तथा कुछ थर्ड पार्टी एअरलाइनों के 135 विमानों के बेडे को एमआरओ सेवाएं उपलब्ध कराती है। सुविधा से 05 घंटों की उड़ान दूरी के भीतर की सभी एअरलाइनों तथा विमानों को एमआरओ सेवाएं उपलब्ध कराना प्रस्तावित है ।

वर्ष 2015–16 में थर्ड पार्टी राजस्व 59.96 करोड़ रुपए था, जो विभिन्न एअरलाइनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने जैसे कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न विपणन पहलों के कारण बढ़ सकेगा ।

जहां कहीं एआईईएसएल के सक्षम है वहां एआईईएसएल रक्षा एमआरओ गतिविधियां भी पूरी कर रही है। फिलहाल, भारतीय वायु सेना के 737–200 विमान तथा भारतीय नौसेना के पी8आई विमान एवं उनके इंजनों तथा घटकों पर कंपनी अनुरक्षण कार्य पूरा कर रही है ।

अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित संवर्धनात्मक गतिविधियां की जा रही है:

- एआईईएसएल ने 12 एवं 13 दिसम्बर, 2016 को आयोजित भारतीय एमआरओ ऐरोस्पेस तथा रक्षा सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें नागर विमानन मंत्रालय का समर्थन था ।
- एआईईएसएल सभी एमआरओ गतिविधियों के लिए एक ही जगह पर समस्याओं का निवारण करने वाली भारत की इकलौती सेवा–उपलब्धकर्ता है तथा एअर इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन विवरणिका के जरिए उक्त को उजागर किया गया है ।
- एआईईएसएल की विवरणिका जारी की गई है, जो निम्नलिखित स्थानों पर एआईईएसएल की क्षमताओं को उजागर करती है :

  क) दिल्ली (नैरो बॉडी तथा जेईओसी)
  ख) मुंबई (वाईड बॉडी तथा नैरो बॉडी)
  ग) हैदराबाद तथा तिरूवनंतपुरम (टीआरवी)
  घ) कोलकाता (नैरो बॉडी)

कंपनी द्वारा निम्नलिखित पहल पूरी की जाने की योजना है:

- भारत में आनेवाली सभी अंतरराष्ट्रीय एअरलाइनों के एअरलाइन डाटाबेस का अद्यतन।
- एआईईएसएल की सेवाओं तथा क्षमताओं से संभाव्य ग्राहकों को परिचित कराना।
- एआईईएसएल के लिए एमआरओ व्यवसाय की निविदाओं को ट्रेक करना।
- विमानन सैक्टर के विभिन्न एअर शोज़ तथा प्रदर्शनियों में एआईईएसएल द्वारा प्रतिनिधित्व ।

- विभिन्न एअरलाइनों के साथ विद्यमान करारों का नवीकरण तथा उनसे उनकी अतिरिक्त आवश्यकता का पता लगाना।

- लागत की बचत तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार एवं एसएएफए निष्कर्षों को कम करने के लिए विदेशी स्टेशनों पर एमआरओ सेट–अप स्थापित करना।

- दृश्यता में सुधार के लिए विभिन्न वेबसाइट पर एआईईएसएल की सेवाओं को सूचीबध्द करना।

- ऑनलाइन तथा सोशल मीडिया (यूट्यूब) के जरिए अंतरराष्ट्रीय विपणन के लिए एआईईएसएल की क्षमताओं को उजागर करने वाली लघु फिल्मों (2 से 3 मिनट) का निर्माण।

- माइक्रो वेबसाइट का निर्माण तथा भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, मेक इन इंडिया तथा अतुल्य भारत के यूआरएल के साथ उक्त को लिंक करना ।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का निर्माण तथा एआईईएसएल का उक्त के माध्यम से उपर्युक्त पहल के साथ संवर्धन तथा वित्त संबंधों सहित एआईईएसएल के प्रचालन आने वाले वर्षों में उच्च प्रक्षेपी वृध्दि प्राप्त करना जारी रखेंगे ।

3. गोइंग कन्सर्न

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति–2016 के प्रभावी होने से यह आशा है कि एमआरओ सैक्टर थर्ड पार्टी सेवाओं के आकार की वृध्दि महत्वपूर्ण रूप से विकसित करेगा।

बोइंग के अनुसार, अगले 07 वर्षों के लिए 7 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृध्दि दर सीएजीआर से बाज़ार की वृध्दि होने की आशा है, जो वर्ष 2020 तक 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचेगी ।

नई नागर विमानन नीति के अनुसार, भारतीय वाहकों का व्यवसाय 5000/– करोड़ रूपए के आसपास है ।

4. जोखिम कम करने की रणनीतियां

कंपनी लगातार जोखिम की अनुभूतियों की निगरानी करती है और विभिन्न छोरों पर जोखिमों को कम करने के लिए निवारक कार्रवाई करती है ।

5. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी ने मेसर्स संजय गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स को वित्त वर्ष 2015–16 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों सहित आंतरिक लेखापरीक्षक ने व्यापक लेखापरीक्षा की है ।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के लिए वित्त रिपोर्टिंग (आईएफसी–एफआर) पर विद्यमान आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए मेसर्स एस.के. वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी को भी नियुक्त किया है ।

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निदेशक–मंडल

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों की संख्या तीन से कम तथा पंद्रह से अधिक नहीं होगी। इन सभी को एअर इंडिया लि. द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

31 मार्च 2016 को निदेशक–मंडल

i)	श्री अश्वनी लोहानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष
ii)	श्री विनोद हेज़माडी, होल्डिंग कं. में मनोनीत, निदेशक (वित्त), एअर इंडिया लिमिटेड	मनोनीत निदेशक
iii)	सुश्री गार्गी कौल, सरकारी नामिती (प्रशासन मंत्रालय)	सरकारी निदेशक
iv)	श्री बी.एस. भुल्लर सरकारी नामिती (प्रशासन मंत्रालय)	सरकारी निदेशक

श्री अश्वनी लोहानी को अध्यक्ष के रूप में श्री रोहित नन्दन के स्थान पर नियुक्त किया गया। श्री रोहित नन्दन 31 अगस्त, 2015 से अध्यक्ष नहीं रहे ।

श्री विनोद हेज़माडी को एअर इंडिया के मनोनीत निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर 07.12.2015 से श्री एस. वेंकट के स्थान पर नियुक्त किया गया। श्री वेंकट 31 अक्तूबर, 2015 से निदेशक नहीं रहे ।

कंपनी के निदेशक–मंडल में श्री रोहित नंदन द्वारा अध्यक्ष एवं श्री एस. वेंकट द्वारा निदेशक के रूप में दी गई महत्वपूर्ण सेवाओं की बोर्ड द्वारा सराहना की गई ।

वर्ष के दौरान, अध्यक्ष द्वारा निदेशक–मंडल की सभी बैठकों एवं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की गई ।

निदेशक–मंडल की बैठकों, वार्षिक आम बैठक, उनमें निदेशकों की उपस्थिति, डायरेक्टरशिप और निदेशकों के समिति पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

बोर्ड बैठकें

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने निदेशक मंडल की चार बैठकें की जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	28.07.2015	4	4
2	29.10.2015	4	4
3	26.02.2016	4	4
4	31.03.2016	4	3

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड / शेयरधारकों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है :

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष के दौरान आयोजित 4 बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप का विवरण	समितियों में सदस्यता
श्री रोहित नन्दन अध्यक्ष (31 अगस्त, 2015 तक)	इतिहास में स्नातकोत्तर एवं यूके से एमबीए		<u>अध्यक्ष</u> एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड <u>निदेशक</u> एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड एअर मॉरिशस लिमिटेड एअर मॉरिशस होल्डिंग लिमिटेड	<u>अध्यक्ष</u> वित्त समिति, एअर इंडिया लिमिटेड मानव संसाधन समिति, एअर इंडिया लिमिटेड स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड <u>स्थायी रूप से आमंत्रित</u> लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया लिमिटेड <u>सदस्य</u> निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी समिति, एअर इंडिया लिमिटेड नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड लेखापरीक्षा समिति– भारतीय होटल निगम लिमिटेड लेखापरीक्षा समिति– एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड लेखापरीक्षा समिति–एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
श्री एस. वेंकट निदेशक (वित्त), एअर इंडिया लिमिटेड (31 अक्तूबर, 2015 तक)	बी.कॉम., एफसीए, एफसीडबल्यूए, एफसीएस एण्ड सीपीए (यूएस)		<u>निदेशक</u> एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	<u>सदस्य</u> वित्त समिति, एअर इंडिया लिमिटेड <u>विशेष आमंत्रित</u> लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया लिमिटेड <u>सहयोजित सदस्य</u> स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड <u>सदस्य</u> लेखापरीक्षा समिति, भारतीय होटल निगम लिमिटेड लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष के दौरान आयोजित 4 बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप का विवरण	समितियों में सदस्यता
सुश्री गार्गी कौल संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय (6 मई, 2015 से)			सरकारी निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड	सदस्य लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया लिमिटेड स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड वित्त समिति, एअर इंडिया लिमिटेड सीएसआर समिति, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
श्री बलविंदर सिंह भुल्लर संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर		सरकारी निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड भारतीस होटल निगम लिमिटेड	सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड मानव संसाधन समिति, एअर इंडिया लिमिटेड स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड सीएसआर समिति, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
श्री अश्वनी लोहानी (31 अगस्त, 2015 से)	मैकेनिकल इंजीनियर तथा चार्टर्ड इंस्टिट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक एण्ड ट्रांसपोर्ट के सदस्य		अध्यक्ष एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड निदेशक एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड एअर मॉरिशस लिमिटेड एअर मॉरिशस होल्डिंग लिमिटेड	अध्यक्ष वित्त समिति, एअर इंडिया लिमिटेड मानव संसाधन समिति, एअर इंडिया लिमिटेड स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड स्थायी रूप से आमंत्रित लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया लिमिटेड सदस्य निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी समिति, एअर इंडिया लिमिटेड नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड लेखापरीक्षा समिति – भारतीय होटल निगम लिमिटेड लेखापरीक्षा समिति– एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड
श्री विनोद हेज़माडी (7 दिसम्बर, 2015 से)	बी.कॉम., एफसीए		निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य वित्त समिति, एअर इंडिया लिमिटेड विशेष आमंत्रित लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया लिमिटेड सहयोजित सदस्य स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड अध्यक्ष वित्त समिति, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, लेखापरीक्षा समिति– एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

बोर्ड समितियां

लेखापरीक्षा समिति

निगमित शासन के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को आयोजित अपने निदेशक–मंडल की 42वीं बोर्ड बैठक में लेखा–परीक्षा समिति गठित की तथा 31 मार्च, 2016 को पदेन सदस्यों के रूप में उसके निम्नलिखित सदस्य थे :

सुश्री गार्गी कौल सरकारी नामिति निदेशक	–	अध्यक्ष
श्री बी.एस. भुल्लर सरकारी नामिति निदेशक	–	सदस्य
श्री विनोद एस. हेज़माडी होल्डिंग कंपनी के नामिति	–	सदस्य
श्री अश्वनी लोहानी अध्यक्ष	–	स्थायी रूप से आमंत्रित

इस समिति के विचारार्थ विषय हैं :

i. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना ।

ii. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन एवं लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का निरीक्षण एवं निगरानी करना ।

iii. वित्तीय विवरणों एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना ।

iv. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहार का अनुमोदन या कोई संशोधन करना ।

v. अंतर्निगमित ऋणों एवं विनिवेशों की संवीक्षा करना ।

vi. कंपनी की अंडरटेकिंग्ज़ अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो ।

vii. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन पद्धतियों का मूल्यांकन करना ।

viii. सार्वजनिक प्रस्तावों एवं संबंधित मामलों के माध्यम से उगाही गई तिथियों के अंतिम उपयोग की निगरानी ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वार्षिक आम बैठकें (एजीएम) :

वार्षिक आम बैठक सं.	बैठक की तिथि व समय		स्थान
11वीं	30.12.2016	1700 बजे	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001
10वीं	28.12.2015	1630 बजे	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001
9वीं	27.12.2014	1015 बजे	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्यगण,
एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,
एयरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली – 110001.

मैंने **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** (सीआईएनःयू74210डीएल2004जीओआई125114) (इसके बाद '**कंपनी**' या एआईईएसएल के नाम से जानी जाएगी) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला और उस पर अपनी राय व्यक्त कर सका ।

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त की बहियों, दायर किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर और इसके अलावा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि को रक्षित करते हुए सामान्यतः इसके अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अतिरिक्त कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्टिंग की पद्धति से और उसके अधीन कंपनी के पास उपयुक्त व्यापक आधार की प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रणाली मौजूद है :

क. मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए रिटर्न एवं शर्तें तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की है, जो निम्न हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के उपबंधों तथा बनाए गए एवं यथालागू नियमों का अनुपालन निम्नलिखित प्रेक्षण के अधीन किया है।

(क) अधिनियम व उनके अधीन बने नियमों के तहत ई–फॉर्म देरी से भरने के कुछ मामले देखने में आए, परंतु उन्हें अधिनियम के तहत अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर नियमित किया गया।

(ख) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 उपधारा 4 एवं 5 के अनुसार कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई, अतः लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई । कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण, कंपनी नियम 2014 के नियम 6 (बोर्ड की बैठकें व इसकी शक्तियां) के साथ पठित, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(2) व 178 के प्रावधानों का कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया ।

(ग) कंपनी अधिनियम 2013 के 178 के साथ पठित कंपनी नियम (बोर्ड की बैठकें व शक्तियां) 2014 के नियम 6 के अनुसार, नियम 6 में उल्लिखित निर्धारित मानदंड पूरा करते हुए कंपनी द्वारा बोर्ड की पारिश्रमिक व नामांकन समिति का गठन नहीं किया गया है ।

(घ) कंपनी को अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के तहत कंपनी सचिव नियुक्त करने की आवश्यकता थी क्योंकि दिनांक 31.03.2016 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी बढ़ कर रुपए 1,666,665,000/– हो गई है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षण पुनरीक्षण में कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रबंध वर्ग द्वारा निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है अतः उन्हें यहां फिर से नहीं उध्दृत किया जा रहा है।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम; (कंपनी पर लागू नहीं)

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप विधियां; (कंपनी पर लागू नहीं)

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक; (कंपनी पर लागू नहीं)

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों एवं टेक ओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; (कंपनी पर लागू नहीं)

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 1992;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं)

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999; (कंपनी पर लागू नहीं)

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008; (कंपनी पर लागू नहीं)

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम पंजीकार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार करने के संबंध में है; (कंपनी पर लागू नहीं)

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं) एवं

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998; (कंपनी पर लागू नहीं)

(vi) विमानन क्षेत्र निम्नलिखित कानून विशेष रूप से कंपनी के लिए लागू होते हैः–

- विमान अधिनियम, 1934
- डीजीसीए द्वारा जारी नागर विमानन की आवश्यकताएं

एआईईएसएल को सीएआर 145 और सीएआर 147 के अंतर्गत डीजीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है, दोनों डीजीसीए द्वारा जारी किए गए हैं। दोनों नियम, भारतीय विमान नियम 1937 के नियम 133बी के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विमान को प्रमाणित करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास सीएआर 66 के प्रावधान के अंतर्गत जारी लाइसेंस का होना आवश्यक है जो नियम 61 के अंतर्गत एक विनियम है।

विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुपालन के लिए,

(क) एआईईएसएल ने नीति दस्तावेज को बनाया जिसे "मेंटेनेंस आरगनाइजेशन एक्स्पोजिशन (एमओई)" एवं "मेंटेनेंस ट्रेनिंग आरगनाइजेशन एक्स्पोजिशन (एमटीओई)" कहा जाता है। इन दस्तावेजों को डीजीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए डीजीसीए का अनुमोदन आवश्यक है।

(ख) एआईईएसएल गुणवत्ता प्रणाली की बार–बार आंतरिक लेखा परीक्षा की जानी आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक अनुभाग एमओई /एमटीओई के नियमों और प्रावधानों का अनुपालन करता है।

(ग) डीजीसीए वार्षिक निर्धारित लेखापरीक्षा करता है। डीजीसीए भी स्पॉट–चेक और अन्य आकस्मिक लेखापरीक्षा करता है।

(घ) एआईईएसएल द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में एआईईएसएल की लेखा परीक्षा एअर इंडिया तथा विभिन्न अन्य एअरलाइनों द्वारा की जाती है ।

(ङ) अन्य देशों में पंजीकृत विमानों को एआईईएसएल द्वारा प्रमाणित किए जाने की स्थिति में एआईईएसएल विदेशी रेगुलेटर्स द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के भी अधीन है।

(च) एआईईएसएल को सर्विलेंस लेखापरीक्षा करने वाले कई विदेशी रेगुलेटर्स जैसे ईएएसए और एफएए द्वारा भी अनुमोदित किया गया है ।

एआईईएसएल के लिए आवश्यक

(क) सीएआर अनुपालन के बारे में नियमित साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(ख) वर्तमान सीएआर में किसी भी प्रकार का संशोधन किए जाने पर सीएआर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

(ग) रेगुलेटर्स द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर ।

इसके अतिरिक्त, निर्धारित समय के भीतर सभी रेगुलेटरी लेखापरीक्षा समाप्त करना होगा ।

डीजीसीए द्वारा विमान नियम 1937 के 133ए के साथ पठित विमान अधिनियम 1934 की धारा 4 के तहत नागर विमानन आवश्यकताएं (सीएआर) जारी की गई है तथा कंपनी द्वारा डीजीसीए जांच प्रणाली के तहत इन आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है । यद्यापि विधि के विस्तृत सिध्दांत विमान 1937 में उल्लिखित है, विस्तृत आवश्यकताओं व अनुपालन प्रक्रियाओं के निर्धारण हेतु नागर विमानन आवश्यकताएं जारी की गई है।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी उपरोक्त विमानन कानूनों को लागू करने में सामान्यतः नियमित हैं तथा कंपनी द्वारा ऐसे विमानन कानूनों के अनुपालन का पुनरीक्षण इस लेखापरीक्षा में नहीं किया गया है जिसका पुनरीक्षण डीजीसीए तथा अन्य पदनामित विशेषज्ञों /प्राधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के पालन की परीक्षा भी की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; और

मैंने कंपनी में टेस्ट बेसिस के आधार पर लागू निम्नलिखित कानून के संबंध में अनुपालन ढांचे, प्रक्रिया और प्रणाली का निरीक्षण किया।

प्रशिक्षु अधिनियम 1961; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम 1948; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948; औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947; बोनस संदाय अधिनियम 1965; उपदान संदाय अधिनियम 1972; ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961; बालश्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1956

कंपनी, भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत एअर इंडिया और इसकी सहायक एअरलाइनों के कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में योगदान करती है जो पात्र कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना को नियंत्रित करती है। कंपनी तथा कर्मचारी पीएफ वेतन का **10%** का अंशदान देते है जिसमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013: कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यौन उत्पीड़न विरोधी नीति तैयार की है। यौन उत्पीड़न संबंधित प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्त कानूनों के संबंध में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं ताकि ऐसे कानूनों की मॉनीटरिंग एवं समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनुपालन प्रबंधन प्रणाली को निम्नलिखित कार्रवाई करते हुए और मजबूत बनाने की आवश्यकता है ।

(क) लागू सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगमित अनुपालन समिति बनाई जाए और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की जाए तथा केंद्रीकृत मैकेनिज्म बनाया जाए।

(ख) बोर्ड की देखरेख में कार्यात्मक यूनिटों और अनुपालन विभाग के बीच प्रभावी समन्वय बनाना और उसे कायम रखना ।

(ग) ऐसी व्यवस्था स्थापित करना ताकि रोकथाम की जा सके, पहचान की जा सके, रिपोर्ट की जा सके और गैर अनुपालन पर कार्रवाई की जा सके ।

(घ) बोर्ड को तिमाही अनुपालनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(ङ) विभिन्न अनुपालनों जोखिमों की पहचान करना और वर्गीकरण करना ।

(च) अनुपालन चेकलिस्ट, लेखापरीक्षा, फीडबैक, उपायों की व्यवस्था करना ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि उसकी समीक्षा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा एवं अन्य पदनामित व्यावसायिकों द्वारा की जानी है।

समीक्षा अवधि के दौरान तथा प्रबंधन द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और व्याख्या तथा अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः उपरोक्त विषय और उसमें उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन किया है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि:

कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक निदेशक और नामिती निदेशकों का समुचित तालमेल बिठाते हुए कंपनी के

निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस दी जाती है और जहां बोर्ड की बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जाती है, वहां कम से कम एक नामिती निदेशक की उपस्थिति सुनिश्चित की गई, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट भेजा गया तथा बैठक से पूर्व एवं बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए कार्यसूची पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई ।

प्रबंध मंडल की प्रस्तुति के अनुसार बोर्ड की बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन एवं मेरे विश्वास के अनुसार कंपनी पर लागू कानून, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों को मॉनीटर करने एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रक्रिया एवं प्रणाली उपलब्ध है।

यह सूचित किया गया है कि विभिन्न सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांगों, दावों, जुर्मानों आदि का कंपनी ने उत्तर दिया है तथा यथाआवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई प्रारंभ की।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने :

दिनांक 31.03.2016 को हुई बोर्ड की बैठक के द्वारा वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु. 10/– के प्रत्येक सममूल्य के 16,66,16,500 इक्विटी शेयरों को एअर इंडिया को आबंटित कर दिया है, जिसका कुल योग रुपए 166,61,65,000/– है।

(जीवन प्रकाश सैनी)
व्यवसायी कंपनी सचिव
14 मार्च, 2017
एफसीएस नं. : 3671
सीपी नं.:2100

नोट 1 : उपरोक्त के संबंध में विशेष गैर–अनुपालन/टिप्पणी/लेखापरीक्षा क्वॉलीफिकेशन, संदेह अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां यथास्थान दी गई है।

नोट 2 : यह रिपोर्ट हमारे दिनांक के पत्र के साथ पढी जाए जो परिशिष्ट "क" के रूप में संलग्न की गई है तथा इस रिपोर्ट का अविभाज्य भाग है।

'परिशिष्ट क'

सेवा में
सदस्यगण,
एअर इंडिया इंजीनियरी सर्विसेस लिमिटेड,
एयरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली – 110001.

समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए :

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

2. मैंने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा चलनों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। सत्यापन परीक्षण जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों। मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं चलन हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, मैंने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. निगम एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । हमारा परीक्षण, परीक्षण जांच के आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित था ।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी का कारोबार किया है ।

(जीवन प्रकाश सैनी)
व्यवसायी कंपनी सचिव
14 मार्च, 2017

एफसीएस संख्या : 3671
सीपी संख्या : 2100

वित्त वर्ष 2015–16 की सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का उत्तर मसौदा

	टिप्पणियां	उत्तर
क)	अधिनियम व उनके अधीन बने नियमों के तहत ई फॉर्म देरी से भरने के कुछ मामले देखने में आए, परंतु उन्हें अधिनियम के तहत अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर नियमित किया गया।	तथ्य का विवरण । कुछ फॉर्म फाइल करने में देरी हुई है और उन्हें अतिरिक्त/विलंब शुल्क के साथ फाइल किया गया। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया गया ।
ख)	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 उपधारा 4 एवं 5 के अनुसार कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई, अतः लेखा परीक्षा अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई। कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण, कंपनी नियम 2014 के नियम 6 (बोर्ड की बैठकें व शक्तियां) के साथ पठित बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(2) व 178 के प्रावधानों का कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया ।	बोर्ड की दिनांक 31.03.2016 को आयोजित बैठक में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें 3 सदस्य थे व स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लंबित रहने के कारण इसमें सरकार द्वारा नामित निदेशकों का बहुमत था । संगम अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाएगी । चूंकि एआईईएसएल के बोर्ड पर कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इस मामले को होल्डिंग कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के साथ उठाया गया था । स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाएगा ।
ग)	कंपनी अधिनियम 2013 के 178 के साथ पठित कंपनी नियम (बोर्ड की बैठकें व शक्तियां) 2014 के नियम 6 के अनुसार नियम 6 में उल्लिखित निर्धारित मानदंड पूरा करते हुए कंपनी द्वारा बोर्ड की पारिश्रमिक व नामांकन समिति का गठन नहीं किया गया है ।	ऊपर 'ख' में दिए गए उत्तर के अनुसार ।
घ)	कंपनी को अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के तहत कंपनी सचिव नियुक्त करने की आवश्यकता थी क्योंकि दिनांक 31.03.2016 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी बढ़ कर रुपए 166,66,65,000/– हो गई है ।	सचिव की नियुक्ति के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

वर्ष 2015–16 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014

के नियम 12(3) के अनुसरण में

31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष का

फॉर्म संख्या एमजीटी 9 – वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

1	सीआईएन	यू74210डीएल2004जीओआई125114
2.	पंजीकरण की तारीख	11/03/2004
3.	कंपनी का नाम	एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल)
4.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	लिमिटेड कंपनी शेयरों द्वारा/केन्द्र सरकार कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरूद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001. फोन नं. 011–23422109
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	जी, नहीं ।
7.	पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता और संपर्क विवरण	लागू नहीं ।

II. कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियां (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक योगदान करने वाली सभी व्यवसाय गतिविधियों का उल्लेख करें)

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	तकनीकी हैंडलिंग, एमआरओ तथा अन्य सेवाएं	9987	100%

III. होल्डिंग, सहायक तथा संबद्ध कंपनी का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीआईएन	होल्डिंग/सहायक/सहभागी	शेयरों का %	लागू धारा
1	एअर इंडिया लिमिटेड 113, एयरलाइन्स हाउस, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110 001.	यू62200डीएल2007जीओआई 161431	होल्डिंग	100%	2 (46)

IV. शेयर धारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2015 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2016 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) वैयक्तिक/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) निगमित निकाय	-	50,000	50,000	100		166,666,500	166,666,500	100	0.00
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता		50,000	50,000	100	-	166,666,500	166,666,500	100	0.00
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता	लागू नहीं								
1. संस्थाएं									
(क) म्युचुअल फंड/यूटीआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) बैंक/वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(छ) वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2015 को)				वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2016 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
2. गैर–संस्थाएं	लागू नहीं								
(क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी)									
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) वैयक्तिक									
i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)									
i) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पदधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) निदेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) हिंदु अविभाजित परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) क्लीयरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii)न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix)विदेशी निकाय – डी आर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)		50,000	50,000	100	-	166,666,500	166,666,500	100	0.00

ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता-

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का %	
1	अपने नामितियों सहित एअर इंडिया लिमिटेड	50,000	100	शून्य	166,666,500	100	शून्य	0.00

ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में धारित संचित शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में				
	एअर इंडिया लिमिटेड	50,000	100%		
	वर्ष के अंत में				
	एअर इंडिया लिमिटेड			166,666,500	100%

घ) पहले दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न : (निदेशक, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा):

क्र. सं.	पहले 10 शेयरधारको में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में धारित संचित शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	लागू नहीं				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ङ) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक तथा प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में धारित संचित शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	शून्य				
	(केवल एअर इंडिया के नामितियों द्वारा धारित शेयर, जिसमें निदेशक भी शामिल हैं)				
	कुल				

V. ऋणग्रस्तता – ब्याज बकाया/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रुपए में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	62,897,979	-	62,897,979
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	62,897,979	-	62,897,979
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* जोड़	-	2,149,146,778	-	2,149,146,778
* कमी	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	2,149,146,778	-	2,149,146,778
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	2,212,044,757	-	2,212,044,757
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	–	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	2,212,044,757	-	2,212,044,757

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक:

(अंकों में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
1	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन						
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य						
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ						
2	स्टॉक विकल्प						
3	स्वेट इक्विटी						
4	लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन अन्य उल्लेख करें						
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)						
	कुल **(क)**						
	अधिनियम के अनुसार सीमा						

*कंपनी में कोई प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं ।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)	-	-	-	-	-	-
	कुल **(1)**	-	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल **(2)**	-	-	-		-	-
	कुल **(ख) = (1+2)**	-	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर सीमा	-	-	-	-	-	-

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(आंकडे रुपयों में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुख्य अधिशासी अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	कुल
1	सकल वेतन	लागू नहीं			-
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	21,06,931	-
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-
	लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-
	कुल	-	-	21,06,931	-

VII. दंड, सज़ा, अपराधों का कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सज़ा/लगाए गए एकत्रित जुर्माने का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
क. कंपनी	शून्य				
दंड	-	-	-	-	-
सज़ा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ख. निदेशक	शून्य				
दंड	-	-	-	-	-
सज़ा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी	शून्य				
दंड	-	-	-	-	-
सज़ा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 619(6)(ख) के अंतर्गत एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी दिनांक 16 मार्च, 2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./–
(नीलेश कुमार साह)
प्रधान निदेशक–वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–I, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25 अप्रैल, 2017

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतन्त्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** (''कंपनी'') के दिनांक 31 मार्च 2016 के तुलन–पत्र, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण सहित संलग्न वित्तीय विवरणों और महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा नीतियों के सार और अन्य स्पष्ट सूचना की लेखापरीक्षा की है ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए प्रबंधन तथा कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का अनुरक्षण, युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेना एवं प्राक्कलन करना, सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाने वाले तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलती के परे वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखाकरण रिकार्डों की यथार्थता एवं परिपूर्णता के सुनिश्चय के लिए प्रभावी तौर पर प्रचलित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है ।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय प्रकट करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों तथा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण तथा लेखापरीक्षा मानकों और मामलों पर ध्यान दिया है।

हमने हमारी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के तथ्यपरक गलत विवरण की जोखिमों के निर्धारण सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हैं। ऐसे जोखिम मूल्यांकन में लेखापरीक्षक उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, जो सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाते हैं, की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में विचार करता है परंतु क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग और उसकी प्रचालनात्मक प्रभाविता पर राय व्यक्त करना उद्देश्य नहीं है ।लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखाकरण आकलनों की युक्तिसंगतता के साथ–साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है ।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वह वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार देने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त हैं।

क्वालिफाइड मत का आधार

हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के "अनुलग्नक क" की मद सं. 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें लागू लेखाकरण मानक के अनुसार अमूर्त परिसंपत्ति का ऋण परिशोधन नहीं किया गया है ।

क्वालिफाइड मत

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, क्वॉलिफाइड मत के लिए आधार पर पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों के संभाव्य प्रभावों को छोड़कर वित्तीय विवरण अधिनियम में यथापेक्षित तरीके से आवश्यक सूचना देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त कंपनी के मामलों तथा उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसकी हानि एवं नकदी प्रवाह के स्थिति की सही और स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा यथापेक्षित हम **"अनुलग्नक ख"** में आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं ।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में कंपनी के बही खातों एवं रिकार्डों की जांच जिसे हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार सही माना गया है, हम **"अनुलग्नक ग"** में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेश संलग्न कर रहे हैं ।

3. जैसाकि अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) ऊपर उल्लिखित क्वालीफाइड मत के आधार पैरा में वर्णित मामले के संभाव्य प्रभावों को छोड़कर जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा–बहियां रखी हैं;

   ख) ऊपर उल्लिखित क्वालीफाइड मत के आधार पैरा में वर्णित मामले के संभाव्य प्रभावों को छोड़कर जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा–बहियां रखी हैं;

   ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा–बहियों से मेल खाते हैं;

   घ) क्वालिफाइड मत के लिए आधार पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों के संभाव्य प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में, पूर्वकथित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं;

   ङ) ऊपर उल्लिखित क्वालीफाइड मत के आधार पैरा में वर्णित मामला हमारी राय में कंपनी के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है;

   च) सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं होती;

   छ) लेखों के रखरखाव से संबंधित अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले ऊपर उल्लिखित क्वालीफाइड मत के आधार पैरा में वर्णन किए गए अनुसार है; तथा

   ज) हमें सूचित किए गए अनुसार कंपनी ने आंतरिक वित्त नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए अलग से लेखापरीक्षक की नियुक्ति की है तथा उन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर हमारी राय में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में वर्णन

किए गए अनुसार महत्वपूर्ण कमियों के प्रभावों/संभाव्य प्रभावों को छोड़कर कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है ।

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसरण में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार :

i) कंपनी का कोई ऐसा मुकदमा लंबित नहीं है, जिसका प्रभाव उसकी वित्तीय स्थिति पर पड़े ।

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न ठेकों सहित दीर्घकालिक की ऐसी कोई संविदा नहीं है जिससे कोई पूर्वानुमानित वास्तविक हानि हुई हो; तथा

iii) रिपोर्टाधीन वर्ष के अनुसार कंपनी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जिससे निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में कोई राशि स्थानांतरित करनी पड़ी हो । अतः ऐसी राशि के अंतरण में विलंब का प्रश्न नहीं उठता ।

कृते झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.113221डबल्यू)

हस्ता./–
बी.पी. मंत्री
(भागीदार)
सदस्यता सं. 045701

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 मार्च, 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक क"

1. अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

वर्ष के दौरान कंपनी के 271,38,28,069 (रुपए दौ सौ इकहत्तर करोड़ अड़तीस लाख अट्ठाइस हजार उनहत्तर मात्र) की राशि के लिए ''अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां'' शीर्ष के अधीन परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया है, जिसमें कर परामर्शदाता से प्राप्त राय के आधार पर नागर विमानन नियम–145 (अनुरक्षण मरम्मत तथा ओवरहॉल सेवाएं पूरी करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय का लाइसेंस) प्राप्त करने के लिए अक्तूबर, 2014 से दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान वेतनपत्रक व्यय, कर्मचारी व्यय, उपदान तथा अवकाश वेतन व्यय एवं अन्य सामान्य व्ययों (उदाहरण के लिए किराया, मरम्मत तथा अनुरक्षण, इलैक्ट्रिसिटी एवं हीटिंग प्रभार आदि) शामिल है।

जैसाकि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है हमारे विचार में "अमूर्त परिसंपत्तियों" का पूंजीकरण लेखाकरण मानकों, मूल लेखा धारणाओं और सिध्दातों के अनुसार नहीं था। परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के तुलनपत्र में लाभ एवं हानि खाते में व्यय एवं हानि कम दिखाए गए थे और रू. 271,38,28,069/– (केवल दो सौ इकहत्तर करोड़ अड़तीस लाख अट्ठाइस हजार उनहत्तर रुपए) की स्थिर परिसंपत्तियां अधिक बताई गई थीं ।

चालू वर्ष में इसका परिणामी प्रभाव यह है कि 271,38,28,069/– (केवल दो सौ इकहत्तर करोड़ अड़तीस लाख अट्ठाइस हजार उनहत्तर रुपए) की स्थिर परिसंपत्तियां बताई गई है तथा उसी सीमा तक संचित हानि के रूप में आरक्षित एवं अधिशेष कम बताया गया है।

इसके अतिरिक्त मूल्यह्रास/परिशोधन के लिए अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार "उपयोगी आर्थिक आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगी आयु से परिशोधित किया गया है"। तथापि कंपनी ने ऐसी अमूर्त परिसंपत्तियों की न तो पिछले वर्ष न चालू वर्ष में कोई राशि परिशोधित की है, जो कि कंपनी द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा साथ ही "अमूर्त परिसंपत्तियां" के लेखांकन मानक 26 के उपबंधों में स्पष्ट अंतर दर्शाता है।

"अमूर्त परिसंपत्ति" के लेखांकन मानक 26 के पैरा 63 के उपबंधों के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास होने वाली राशि उसकी सर्वोत्तम अनुमानित उपयोगी आयु के अनुसार क्रमबध्द आधार पर आबंटित की जानी चाहिए। ऐसी धारणा गलत है कि उपयोग के उपलब्ध होने की तिथि से अमूर्त परिसंपत्ति की उपयोगिता आयु दस वर्ष से अधिक नहीं होगी। परिसंपत्ति का परिशोधन उसके उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर किया जाना चाहिए।

प्रबंधन की टिप्पणी :

एमआरओ के लिए नागर विमानन नियम सीएआर–145 प्रमाणपत्र हेतु नागर विमानन महानिदेशालय का लाइसेंस 01 जनवरी, 2015 को प्राप्त हुआ था। इस परिसंपत्ति को स्थापित करने में हुआ व्यय कंपनी के लेखे में 31 मार्च, 2015 को पूंजीकृत किया गया है। इस लाइसेंस के आधार पर कंपनी ने अपनी सुविधाओं के लिए अन्य प्रमाणपत्र जैसे एफएए, ईएएसए अनुमोदन के लिए आवेदन किया। अतः कंपनी का विश्वास है कि आज की तारीख तक परिसंपत्ति के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है। चूंकि नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा लाइसेंस जारी किया था और जारी किए जाने के पश्चात कभी भी स्थगित नहीं किया गया इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी क्षति की पहचान नहीं की गई है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ख"

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के सदस्यों के लिए वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक में हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. (क) कंपनी ने स्थिर परिसंपत्तियों के रिकॉर्डों का उचित रखरखाव किया है जो एसएपी (सैप) प्रणाली में स्थिर संपत्तियों की मात्रात्मक स्थिति सहित संपूर्ण विवरण दर्शाता है।

   (ख) हमें दी गई जानकारी के अनुसार स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन मूल कंपनी द्वारा द्विवार्षिक अवधि के लिए किया गया है। हालांकि हमें कोई प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसलिए यदि कोई विसंगति है तो उसका निपटान किया गया है या नहीं, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

   (ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए आदेश का पैराग्राफ सी(i) लागू नहीं है।

2. कंपनी कोई व्यापार अथवा उत्पादन संबंधी कार्य नहीं कर रही है। तदनुसार इन्वेंटरी संबंधी खंड लागू नहीं है।

3. हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों को कंपनी द्वारा कोई रक्षित अथवा अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया गया है ।

   (क) चूंकि ऐसे कोई ऋण नहीं हैं, अतः निर्धारित अवधि में नियमित रूप से मूल अथवा ब्याज की राशि चुकाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

   (ख) अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध निगमित निकायों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों को प्रदान किए गए ऋणों के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक कोई अतिदेय राशि नहीं है ।

4. कंपनी ने अपने किसी भी निदेशक या उनसे संबंधित किसी व्यक्ति या इकाई को किसी प्रकार का ऋण, निवेश, गारंटी, प्रतिभूति सुरक्षा या अग्रिम प्रदान नहीं किया है । इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के अंतर्गत कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है ।

6. केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत कंपनी के सामान और की जा रही सेवाओं के लागत रिकार्डों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

7. **क) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर तथा अन्य सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियां उपयुक्त प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा नहीं करती है ।**

   हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2016 को 6 महीने से अधिक की बकाया अविवादित सांविधिक देयताएं निम्नानुसार है :

क्र.सं.	जीएल एकाउंट कोड	सांविधिक देयताओं की प्रकृति (स्वरूप)	31 मार्च, 2016 को 6 महीने से अधिक की बकाया राशि
1	1110002325	भविष्य निधि देय	5,64,66,690
2	1110003100	वेतन पर टीडीएस	35,93,31,988
3	1110003110	ठेकेदारों पर टीडीएस	1,31,939
4	1110003115	किराए पर टीडीएस	23,676
5	1110003151	पुरानी धारा 194 के अधीन टीडीएस	11,39,870
6	विभिन्न खाता	देय सेवा कर	3,03,13,749
7	1110004030	एएआई लेवी	20,88,333

जैसा हमें बताया गया है, भविष्य निधि की देय राशि मूल कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रेषित की जाती है लेकिन लेखा प्रविष्टियां दर्शाई/समायोजित नहीं की गई हैं, इसलिए यह कंपनी के एकाउंट बुक में बकाया के रूप में दिखाई दे रही हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर अथवा सेस (उप कर) की कोई देयता बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्रधिकरणो के पास जमा नहीं किया गया हो ।

8. कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों या डिबेंचर धारकों को देय राशियों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है ।

9. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) अथवा सार्वजनिक प्रस्ताव के पश्चात (ऋण साधनों सहित) या मियादी ऋण के माध्यम से धन एकत्र नहीं किया है । तदनुसार आदेश का पैराग्राफ (ix) लागू नहीं है ।

10. हमारी जानकारी और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर और उसके द्वारा कपट (फ्रॉड) की घटना न तो देखी गई है और न ही रिपोर्ट की गई है ।

11. कंपनी ने प्रबंधकीय पारिश्रमिक का न तो प्रावधान किया है न तो भुगतान किया है ।

12. हमारे विचार एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधी कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ (xii) लागू नहीं है ।

13. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड के किए गए परीक्षण के आधार पर, जहां लागू है वहां संबंधित पक्षों (पार्टियों) के साथ लेन–देन में अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है । इस तरह के लेन–देन को लागू लेखाकरण मानको के अनुसार वित्तीय विवरणों के नोट्स की नोट सं. 23.8 में प्रकट किया गया है ।

14. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड को हमारे द्वारा किए परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई भी अधिमान्य आबंटन या निजी तौर पर आबंटन अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है ।

15. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड की हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के अनुपालन करते हुए निदेशकों अथवा निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर नकदी लेन–देन नहीं किया है ।

16. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–IA के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

कृते झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.113221 डबल्यू
हस्ता,/–
(बी.पी. मंत्री)
भागीदार
सदस्यता सं. 045701

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16.03.2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ग"

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1	यदि कंपनी का विनिवेश के लिए चयन किया गया है, तो परिसंपत्तियों के मूल्यांकन (अमूर्त परिसंपत्ति एवं भूमि सहित) तथा देयताओं (प्रतिबद्ध तथा सामान्य आरक्षित सहित) के संबंध में, विनिवेश के तरीके तथा वर्तमान स्थिति एवं तरीके का परीक्षण किया जाए ।	कंपनी विनिवेश के लिए नहीं चुनी गई है ।	लागू नहीं
2	कृपया बताएं कि क्या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि अधित्याग/बट्टे खाते में डालने से संबंधित कोई मामले हैं, यदि हां, तो उसका कारण तथा उसकी राशि बताएं ।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऋण/कर्ज/ब्याज आदि अधित्याग/बट्टे खाते में डालने से संबंधित कोई मामलें नहीं हैं ।	शून्य
3	क्या थर्ड पार्टी के पास पड़ी इन्वेंटरी तथा सरकार एवं अन्य प्राधिकारियों से उपहार स्वरूप प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा जा रहा है ।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, थर्ड पार्टी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं है और सरकार एवं अन्य प्राधिकारियों से उपहार स्वरूप कोई परिसंपत्ति नहीं प्राप्त हुई है ।	शून्य
4	लंबित होने के कारणों सहित, लंबित सूची/अधिनिर्णय संबंधी मामलों की समयानुसार विश्लेषण रिपोर्ट दी जाए तथा सभी कानूनी मामलों (विदेशी एवं स्थानीय) पर होने वाले खर्च की मॉनीटरिंग के लिए मैकेनिज़्म मौजूद/ प्रभावी होने की रिपोर्ट दी जाए ।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के विरुद्ध अथवा कंपनी द्वारा कोई कानूनी/अधिनिर्णय संबंधी मामला लंबित नहीं है ।	शून्य

कृते झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 113221 डबल्यू)

हस्ता,/–
(बी.पी. मंत्री)
भागीदार
सदस्यता सं. 045701

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 मार्च 2016

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर निम्नानुसार हैं :–

लेखापरीक्षक द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दे स्वतः स्पष्ट/तथ्यपरक विवरण हैं। अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण, जहां कहीं आवश्यक हो, नीचे दिए गए हैं :

लेखापरीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन की टिप्पणी
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	
हमने **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** (''कंपनी'') के दिनांक 31 मार्च 2016 के तुलन–पत्र, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण सहित संलग्न वित्तीय विवरणों और महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा नीतियों के सार और अन्य स्पष्ट सूचना की लेखापरीक्षा की है, जिस पर इस रिपोर्ट के संदर्भ के अधीन हमने हस्ताक्षर किए हैं ।	यह तथ्यपरक विवरण है ।
वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी	
कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए प्रबंधन तथा कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का अनुरक्षण, युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेना तथा प्राक्कलन करना, सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाने वाले तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलती के परे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखाकरण रिकार्डों की यथार्थता तथा परिपूर्णता के सुनिश्चय के लिए प्रभावी तौर पर प्रचलित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है ।	यह तथ्यपरक विवरण है ।
लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी	
हमारी ज़िम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय प्रकट करना है । हमने अधिनियम के प्रावधानों तथा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले	यह तथ्यपरक विवरण है ।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन की टिप्पणी
अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण तथा लेखापरीक्षा मानकों तथा मामलों पर विचार किया है। हमने हमारी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों के अनुसरण में की है । इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है । वित्तीय विवरणों के तथ्यपरक गलत विवरण की जोखिमों के निर्धारण सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हैं । ऐसे जोखिम मूल्यांकन में लेखापरीक्षक उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, जो सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाते हैं, की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में विचार करता है परंतु क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग और उसका प्रभावी प्रचालन है इस पर राय व्यक्त करना उद्देश्य नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखाकरण आकलनों की युक्तिसंगतता के साथ–साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है । हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वह वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार देने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त हैं। **क्वालिफाइड मत का आधार** **हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के "अनुलग्नक क" की मद सं. 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें लागू लेखाकरण मानक के अनुसार अमूर्त परिसंपत्ति का ऋण परिशोधन नहीं किया गया है।** **क्वालिफाइड मत** हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, क्वॉलिफाइड मत के लिए आधार पर पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों के संभाव्य प्रभावों को छोड़कर	प्रमाणन के साथ सीएआर एमआरओ के लिए डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बनाई जाने वाली अमूर्त परिसंपत्तियां, 2015–16 के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधित नहीं की गई क्योंकि इसमें कोई हानि नहीं है । लेखापरीक्षा टिप्पणी को नोट किया गया है ।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन की टिप्पणी

वित्तीय विवरण अधिनियम में यथापेक्षित तरीके से आवश्यक सूचना देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त कंपनी के मामलों तथा उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसकी हानि एवं नकदी प्रवाह के स्थिति की सही और स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा यथापेक्षित हम **"अनुलग्नक ख"** में आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं ।

2. अधिनियम, की धारा 143(5) के संदर्भ में कंपनी के बही खातों एवं रिकार्डों की जांच जिसको हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार सही माना गया है, हम **"अनुलग्नक ग"** में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेश संलग्न कर रहे हैं।

3. जैसाकि अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) ऊपर उल्लिखित क्वालीफाइड मत के आधार पैरा में वर्णित मामले के संभाव्य प्रभावों को छोड़कर जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा–बहियां रखी हैं;

   ख) ऊपर उल्लिखित क्वालीफाइड मत के आधार पैरा में वर्णित मामले के संभाव्य प्रभावों को छोड़कर जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा–बहियां रखी हैं;

लेखापरीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन की टिप्पणी
ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा–बहियों से मेल खाते हैं;	
घ) क्वालिफाइड मत के लिए आधार पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों के संभाव्य प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में, पूर्वकथित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं;	
ङ) ऊपर उल्लिखित क्वालीफाइड मत के आधार पैरा में वर्णित मामला हमारी राय में कंपनी के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है;	
च) सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं होती;	
छ) लेखों के रखरखाव से संबंधित अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले ऊपर उल्लिखित क्वालीफाइड मत के आधार पैरा में वर्णन किए गए अनुसार है; तथा	
ज) हमें सूचित किए गए अनुसार कंपनी ने आंतरिक वित्त नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए अलग से लेखापरीक्षक की नियुक्ति की है तथा उन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर हमारी राय में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में वर्णन किए गए अनुसार महत्वपूर्ण कमियों के प्रभावों/संभाव्य प्रभावों को छोड़कर कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है ।	
झ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसरण में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार :	

लेखापरीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन की टिप्पणी
i) कंपनी का कोई ऐसा मुकदमा लंबित नहीं है, जिसका प्रभाव उसकी वित्तीय स्थिति पर पड़े । ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न ठेकों सहित दीर्घकालिक की ऐसी कोई संविदा नहीं है जिससे कोई पूर्वानुमानित वास्तविक हानि हुई हो; तथा iii) रिपोर्टाधीन वर्ष के अनुसार कंपनी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जिससे निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में कोई राशि स्थानांतरित करनी पड़ी हो । अतः ऐसी राशि के अंतरण में विलंब का प्रश्न नहीं उ ठ त ा ।	

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
इक्विटी तथा देयताएं					
शेयर धारकों की निधियां					
क) शेयर पूंजी	2	**1,666,665,000**		500,000	
ख) आरक्षिति तथा अधिशेष	3	**(8,012,918,413)**		(2,426,709,080)	
			(6,346,253,413)		(2,426,209,080)
आबंटन के लंबित रहते शेयर आवेदन धन	4		-		1,666,165,000
गैर–चालू देयताएं					
क) दीर्घावधि ऋण	5	**2,212,044,757**		62,897,979	
ख) आस्थगित की देयताएं (निवल)					
ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं					
घ) दीर्घावधि प्रावधान	6	**4,347,167,881**		4,223,733,048	
			6,559,212,638		4,286,631,027
चालू देयताएं					
क) अल्पावधि ऋण		-			
ख) व्यापार देय	7	**56,881,302**		15,232,643	
ग) अन्य चालू देयताएं	8	**3,985,996,115**		1,735,688,022	
घ) अल्पावधि प्रावधान	9	**931,493,477**		7,019,251	
			4,974,370,894		1,757,939,916
कुल			**5,187,330,120**		**5,284,526,863**
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
क) स्थिर परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां					
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	**1,221,621,683**		1,485,339,841	
(iii) पूंजीगत चालू कार्य	10	**2,713,828,069**		2,713,828,069	
(iv) विकासरत/विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		-			
ख) गैर–चालू निवेश			**3,935,449,752**		4,199,167,910
ग) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)		-			
घ) दीर्घावधि ऋण तथा अग्रिम		-			
ङ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	11	**20,428,566**		517,572,180	
	14			-	
			20,428,566		517,572,180
चालू परिसंपत्तियां					
क) चालू निवेश					
ख) इन्वेंटरी		-		-	
ग) व्यापार प्राप्य		-			
घ) नकद एवं बैंक शेष	12	**779,706,883**		160,551,316	
ङ) अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम	13	**440,591,603**		407,129,517	
च) अन्य चालू परिसंपत्तियां		-			
	14	**11,153,316**		105,940	
			1,231,451,802		567,786,773
कुल			**5,187,330,120**		**5,284,526,863**
महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1				
वित्तीय विवरणों के लिए संलग्न टिप्पणियां	2-23				

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स
के लिए एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 113221डबल्यू

हस्ता./–
(बी.पी.मंत्री)
भागीदार सदस्यता सं. 045701

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 मार्च, 2017

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./–
(अश्वनी लोहानी)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(वी.एस. हेजमाडी)
निदेशक–वित्त

हस्ता./–
(सी.एन.हेमलता)
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
(एच.आर. जगन्नाथ)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि का विवरण

(राशि रुपयों में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	2015-16	2014-15
	राजस्व			
I	प्रचालन से राजस्व	**15**	**6,202,713,779**	**1,420,058,830**
II	अन्य आय	**16**	**4,544**	**1,979**
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**6,202,718,323**	**1,420,060,809**
IV	**व्यय**			
	उपभुक्त सामग्री की लागत		**-**	-
	व्यापार में स्टॉक का क्रय		**-**	-
	इन्वेंटरी में परिवर्तन	**17**	**10,309,267,545**	2,940,208,061
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	**18**	**56,390,370**	-
	वित्त लागत	**19**	**372,305,985**	209,489,043
	मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	**20**	**1,062,118,933**	696,039,436
	अन्य व्यय			
	कुल व्यय		**11,800,082,834**	**3,845,736,540**
	पूर्वावधि समायोजन (निवल)	**21**	**(11,155,179)**	-
	पूर्वावधि समायोजन के बाद कुल व्यय		**11,788,927,655**	**3,845,736,540**
V	**अपवादात्मक एवं असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**(5,586,209,333)**	**(2,425,675,731)**
VI	अपवादात्मक मदें		**-**	-
VII	**असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ/(हानि) (V+VI)**		**(5,586,209,333)**	**(2,425,675,731)**
VIII	असाधारण मदें (निवल)		**-**	-
IX	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (VII+VIII)**		**(5,586,209,333)**	**(2,425,675,731)**
X	**कर व्यय :**		**-**	-
	i) चालू कर			
	ii) पिछले वर्ष से संबंधित कर समायोजन		**-**	-
	iii) आस्थगित कर		**-**	-
XI	**अवधि के लिए कर पश्चात् लाभ (हानि) (IX-X)**		**(5,586,209,333)**	**(2,425,675,731)**
XII	**10 रुपए प्रत्येक का प्रति शेयर अर्जन**			
	मूल	**22**	**(11,056.63)**	**(48,513.51)**
	तनुकृत	**22**	**(11,056.63)**	**(48,513.51)**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां		**1**		
वित्तीय विवरणों के लिए संलग्न टिप्पणियां		**2-23**		

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स
के लिए एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 113221डबल्यू

हस्ता./–
(बी.पी.मंत्री)
भागीदार सदस्यता सं. 045701

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 मार्च, 2017

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./–
(अश्वनी लोहानी)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(वी.एस. हेजमाडी)
निदेशक–वित्त

हस्ता./–
(सी.एन.हेमलता)
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
(एच.आर. जगन्नाथ)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपयों में)

	विवरण	2015-16		2014-15	
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व निवल (हानि)/लाभ		**(5,586,209,333)**		(2,425,675,731)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन				
	मूल्याह्रास तथा परिशोधन	**372,305,985**		209,489,043	
	कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	**123,434,833**		4,223,733,048	
			495,740,818		4,433,222,091
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन (हानि)/लाभ		**(5,090,468,514)**		2,007,546,360
	निम्नलिखित के लिए समायोजन				
	व्यापार और अन्य प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	**(133,059,329)**		(678,229,436)	
	व्यापार और अन्य देय में (वृद्धि)/कमी	**3,153,532,999**		1,756,887,021	
			3,020,473,671		1,078,657,585
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (प्रयुक्त)		**(2,069,994,844)**		3,086,203,945
ख.	**निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	स्थिर परिसंपत्तियों का अभिग्रहण	**(108,587,827)**		(4,408,656,953)	
	अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों का अभिग्रहण	**-**			
	निवेश संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह		**(108,587,827)**		(4,408,656,953)
ग.	**वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	आबंटन के लंबित रहते शेयर आवेदन धन सहित शेयर जारी करना	**-**		1,666,165,000	
	वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (प्रयुक्त)		**-**		1,666,165,000
	नकद तथा नकदी समानकों में निवल वृद्धि/(कमी)		**(2,178,582,671)**		343,711,992
	नकद तथा नकदी समानक (अथशेष)		**344,231,538**		519,546
	नकद तथा नकदी समानक (अंतशेष)		**(1,834,351,133)**		344,231,538

टिप्पणियां :

1. नकदी प्रवाह विवरण लेखाकरण मानक 3 (एएस–3) में 'नकदी प्रवाह विवरण' तथा प्रचालन, निवेश और वित्त संबंधी गतिविधियों द्वारा वर्तमान नकदी प्रवाह पर निर्धारित किए गए अनुसार ''अप्रत्यक्ष पद्धति'' के अंतर्गत तैयार किया गया है ।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स
के लिए एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 113221डबल्यू

हस्ता./–
(बी.पी.मंत्री)
भागीदार सदस्यता सं. 045701

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 मार्च, 2017

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./–
(अश्वनी लोहानी)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(वी.एस. हेजमाडी)
निदेशक–वित्त

हस्ता./–
(सी.एन.हेमलता)
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
(एच.आर. जगन्नाथ)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

नोट "I"

क. निगमित सूचना

कंपनी ने एमआरओ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 01 जनवरी, 2015 से नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदन प्राप्त किया है । कंपनी द्वारा उसकी मूल कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड एवं एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों अर्थात् एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड एवं एअरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के साथ उनके विमान इंजीनियरी से संबंधित सेवाएं देने के लिए एक समझौता ज्ञापन बनाया गया ।

ख. लेखाकरण परिपाटी

i) ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत गोइंग कन्सर्न सिद्धांत पर प्रोद्भूत आधार पर तथा कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 (जिस सीमा तक अधिसूचित हों) में विहित अनिवार्य लेखामानक तथा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी यथा लागू मार्गदर्शिकाओं के आधार पर तैयार किए गए हैं ।

ii) भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन को उन आकलनों और मान्यताओं को निर्धारित करना अपेक्षित होता है, जो वित्तीय विवरण की तिथि के दिन परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की राशि तथा प्रासंगिक देयताओं की प्रस्तुति और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की गई राशि को प्रभावित करते हैं। जिस अवधि में परिणाम ज्ञात/तथ्यपरक होते हैं, उसी समय वास्तविक परिणाम और आकलनों के बीच का अंतर भी पता चल पाता है।

iii) कंपनी सेवा सेक्टर में होने के कारण कोई निर्धारित प्रचालन साइकिल नहीं है, कंपनी अधिनियम, 1956 के संशोधित शैड्यूल–VI के प्रावधानों के निबंधनों के अनुसार 12 माह की अवधि को 'प्रचालन साइकिल' के रूप में अपनाया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. स्थिर परिसंपत्तियां

क) **मूर्त परिसंपत्तियां** : स्थिर परिसंपत्तियों की मूल लागत में अधिग्रहण, उनको प्रयोग के स्थान पर लाना तथा उस तिथि तक जबकि परिसंपत्ति को प्रयोग के लिए लिया गया है के लिए ब्याज पर लिया गया ऋण आनुषंगिक व्यय में शामिल है ।

ख) **अमूर्त परिसंपत्तियां** : नागर विमानन महानिदेशालय लाइसेंस – सभी व्यय जिसमें लाइसेंस प्राप्त करने से तीन माह पूर्व जनशक्ति लागत तथा प्रमाणीकरण के साथ सीएआर–145 एमआरओ लाइसेंस हेतु नागर विमानन महानिदेशालय को सीधे देय लागत शामिल है ।

2. मूल्यह्रास/परिशोधन

क) मूल लागत के 5% का अवशिष्ट मूल्य रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित किए गए अनुसार परिसंपत्तियों की उपयोगिता आयु पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है ।

ख) अन्य स्थिर परिसंपत्तियों के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान अधिग्रहण के वर्ष में पूरे वर्ष के लिए किया जाता है तथा निपटान के वर्ष में किसी प्रकार के मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया जाता।

ग) उपयोगी आर्थिक आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का उनकी अनुमानित उपयोगी आयु के बाद परिशोधन किया गया है।

3. राजस्व को मान्यता

क) राजस्व को तभी दर्शाया जाता है जब उसका विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सके तथा उससे पूरी उगाही करने की संभावना हो । प्रचालन से प्राप्त राजस्व में तकनीकी हैंडलिंग राजस्व, एमआरओ सेवा राजस्व तथा अन्य सेवारत राजस्व शामिल है ।

ख) अन्य सर्विसिंग राजस्व की पहचान बजट किए गए प्रति ब्लॉक घंटे की दर से वास्तविक ब्लॉक घंटों का गुणन करके की जाती है। एमआरओ सेवाएं राजस्व तथा तकनीकी हैंडलिंग राजस्व की पहचान होल्डिंग कंपनी तथा अन्य समूह कंपनियों द्वारा सहभाग किए जाने के रूप में की जाती है तथा कुछ मामलों में सहमति दर्शाए गए अनुसार सेवाएं पूरी हो जाने के पश्चात एआईईएसएल द्वारा बिल सीधे जारी किए जाते हैं ।

ग) अन्य प्रचालन राजस्व का संबंध प्रशिक्षण शुल्क से हो रहे प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त होता है तथा आवश्यकतानुसार दर्शाया जाता है ।

घ) ब्याज से प्राप्त आय को समय अनुपात के आधार पर दर्शाया जाता है ।

ङ) निवल मूल्यह्रास मूल्य के आधार पर स्थिर परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ/हानि को गैर प्रचालन राजस्व अथवा अन्य व्यय के रूप में लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है ।

4. कर्मचारी हितलाभ

क) अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ : सभी कर्मचारी हितलाभ जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों में दिए जाते हैं उनको अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ कहा जाता है। हितलाभ जैसे वेतन, मज़दूरी एवं अल्पावधि क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति आदि तथा बोनस, अनुग्रह अनुदान की अनुमानित लागत उस अवधि में दर्शाए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं।

ख) रोज़गार पश्चात् हितलाभ

परिभाषित अंशदायी योजना में कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना शामिल है । मूल कंपनी अर्थात एअर इंडिया लिमिटेड एवं एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक एयरलाइन्स अर्थात 'एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड' तथा 'एअरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड' ने भविष्य निधि अंशदान के संचालन हेतु एक अलग ट्रस्ट बनाया है जिसमें नियमित अंशदान किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा को देय राशि सरकारी प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की जा रही है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं वे है जो निधिबद्ध नहीं होती जैसे उपदान, छुट्टी नकदीकरण, जिसमें बीमारी छुट्टी और अन्य लाभ शामिल हैं ।

उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण की देयता वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पध्दति के तहत बीमांकिक तौर पर निर्धारित की जाती है ।

5. परिसंपत्तियों की क्षति

तुलन–पत्र की प्रत्येक तिथि पर लेखाकरण मानक–28 के अनुसार क्षति के लिए परिसंपत्तियों के वहन मूल्य का परीक्षण किया जाता है जिससे निम्नलिखित का निर्धारण किया जाए :

क) क्षति हानि, यदि कोई है तो, के लिए प्रावधान; और

ख) पूर्वावधि में दर्शाया गया क्षति हानि का निराकरण, यदि कोई हों ।

परिसंपत्ति की वर्तमान राशि अपनी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाने की स्थिति में क्षति हानि को माना जाता है ।

6. आय पर कर

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, चालू कर, यदि कोई हो तो, उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

तुलन–पत्र की तारीख को अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई दरों और विधियों का प्रयोग करके बही खातों और कर योग्य लाभों के बीच के समय के अंतर के आधार पर आस्थगित कर की पहचान की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है और उन्हें एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है, जिससे वास्तव में सुनिश्चित हो कि भविष्य में परिसंपत्तियों की वसूली की जाएगी।

7. प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं तथा प्रासंगिक परिसंपत्तियां

क) जिन प्रावधानों में मूल्यांकन विशेष अनुमान संबद्ध होता हैं, उन्हें तब मान्य किया जाता है जब पूर्व स्थिति के परिणामस्वरूप वर्तमान में ऋण हो और इस कारण संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना रहती है ।

ख) जब पूर्व स्थिति के कारण संभाव्य ऋण होने पर रू. 1,00,000/– से अधिक के प्रत्येक मामले में प्रासंगितक देयताओं का प्रकटन किया जाता है । परंतु उनके अस्तित्व की पुष्टि भविष्य में एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न होने पर होती है, जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है।

ग) प्रासंगिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्य किया गया है और न ही प्रकट ।

8. पूर्वदत्त व्यय/व्यय का दायित्व

10,000/– रुपए और उससे अधिक के मामले में पूर्वदत्त व्यय/व्यय के दायित्व को दर्शाया गया है ।

9. निवेश

वर्तमान निवेश कम लागत तथा कोट किए गए/उचित मूल्य पर किए जाते हैं, जिनकी श्रेणी अनुसार गणना की जाती है । दीर्घावधि निवेशों में कम कीमत का प्रावधान केवल उसी अवस्था में किया जाता है जब वह कमी अस्थायी न हो कर अन्य हो ।

टिप्पणी '2' : शेयर पूंजी

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
क) प्राधिकृत		
प्रत्येक 10/– रुपए के 1000,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – 100,00,000)	**10,000,000,000.00**	100,000,000.00
	10,000,000,000.00	**100,000,000.00**
ख) जारी, अभिदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त शेयर		
प्रत्येक 10/– रुपए के 1666,66,500 इक्विटी शेयर	**1,666,665,000.00**	500,000.00
	1,666,665,000.00	**500,000.00**

ग) शेयरों का समाधान

विवरण	(शेयरों की संख्या)		(शेयर मूल्य रुपए)	
	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को	**31 मार्च, 2016 को**	31 मार्च, 2015 को
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर	**50,000**	50,000	**500,000**	500,000
जोड़े : वर्ष के दौरान आबंटित इक्विटी शेयर	**166,616,500**	-	**1,666,165,000**	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	**166,666,500**	**50,000**	**1,666,665,000**	**500,000**

घ) इक्विटी शेयर से जुड़े/के अधिकार, अधिमानित तथा प्रतिबंध

कंपनी के पास एक श्रेणी के शेयर हैं यानी इक्विटी शेयर, जिनका सम मूल्य 10/– रुपए प्रति शेयर है । इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक मत का हकदार है ।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। विवरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा ।

ड.) होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियां तथा एसोसिएट्स के पास शेयरों का विवरण

विवरण	(शेयरों की संख्या)		(शेयरधारिता का %)	
	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
होल्डिंग कंपनी के शेयर एअर इंडिया लिमिटेड	**166,666,500**	50,000	**100%**	100%

च) शेयर धारकों का विवरण, जिनके पास 5% से अधिक शेयर हैं

विवरण	(शेयरों की संख्या)		(शेयरधारिता का %)	
	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
एअर इंडिया लिमिटेड	**166,666,500**	50,000	**100%**	100%

छ) नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा के अनुसार जारी किए गए और आबंटित किए गए शेयरों का विवरण

विवरण	(शेयरों की संख्या)	(मूल्य)
	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
तारीख 05 अप्रैल, 2013 को एअर इंडिया लिमिटेड तथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग के बीच किए गए समझौता ज्ञापन के खंड 5(क) के संदर्भ में लगाई गई पूंजी के प्रति 01 अप्रैल, 2014 को होल्डिंग कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा हस्तांतरित इंजीनियरी परिसंपत्तियों का ह्रासित मूल्य पर प्रत्येकी 10 रु. के 1666,16,500 इक्विटी शेयरों का आबंटन किया गया है।	**166,616,500**	1,666,165,000

टिप्पणी '3' : आरक्षिति तथा अधिशेष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार अधिशेष/(घाटा)		
अथशेष	**(2,426,709,080)**	(1,033,349)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(5,586,209,333)**	(2,425,675,731)
अंत शेष	**(8,012,918,413)**	**(2,426,709,080)**
कुल	**(8,012,918,413)**	**(2,426,709,080)**

टिप्पणी '4' : आबंटन के लंबित रहते शेयर आवेदन धन

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
आबंटन के लंबित रहते शेयर आवेदन धन (दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को एअर इंडिया लिमिटेड तथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के बीच में हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को पूंजी इन्फ्यूजन के संबंध में होल्डिंग कंपनी द्वारा स्थानांतरित किया गया आबंटन के लंबित रहते शेयर आवेदन धन इंजीनियरी परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य को दर्शाता है।)	-	1,666,165,000
(कृपया नोट 31 की मद सं. 10(क) देखें)		
कंपनी 10/– रुपए के अंकित मूल्य पर 16,66,16,500 के सम मूल्य के इक्विटी शेयर जारी करेगी।		
– से प्रायोगिक रूप से शेयर आबंटित किए जाएंगे।		-
कंपनी ने उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन धन के समक्ष आबंटित किए गए शेयर के लिए उसकी प्राधिकृत पूंजी तुलन पत्र की तारीख के पश्चात् 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दी है।		

टिप्पणी '5' : दीर्घावधि ऋण

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
संबंधित पार्टी के ऋण तथा अग्रिम		
अरक्षित होल्डिंग कंपनी से – एअर इंडिया लिमिटेड एमओयू के अनुसार, होल्डिंग कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड पूंजी और प्रचालन व्यय के लिए सहायता प्रदान करेगी । एमओयू में कोई पुनर्भुगतान शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है ।	**1979482863**	
अरक्षित ग्रुप कंपनी से – एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पुनर्भुगतान की शर्तें दर्ज नहीं की गई है)	**80,916,138**	
अरक्षित ग्रुप कंपनी से – एलाइंस एअर सर्विसेस लिमिटेड (पुनर्भुगतान की शर्तें दर्ज नहीं की गई है)	**151,645,756**	62,897,979
(चूंकि पुनर्भुगतान/ब्याज के लिए कोई नियम और शर्तें निर्दिष्ट नहीं है, डिफॉल्ट का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।)		
कुल	**2,212,044,757**	62,897,979

टिप्पणी '6' : दीर्घावधि प्रावधान

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान		
क) उपदान	**2,491,103,638**	2,367,422,020
ख) छुट्टी का नकदीकरण (समुचित विवरणों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रावधान की कुल राशि दीर्घावधि के लिए मानी गई है)	**1,856,064,243**	1,856,311,028
कुल	**4,347,167,881**	4,223,733,048

टिप्पणी '7' : व्यापार देय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
सूक्ष्म तथा छोटे उद्यमों को देय	**-**	-
अन्य	**56,881,302**	15,232,643
(नोट सं. 21 की मद सं. 13 देखें)		
कुल	**56,881,302**	15,232,643

टिप्पणी '8' : अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
बयाना के प्रति अग्रिम	**3,300,000**	600,000
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**2,184,518**	-
सांविधिक देय	**1,860,714,454**	596,951,921
अन्य देयताएं	**2,119,797,143**	1,138,136,101
कुल	**3,985,996,115**	1,735,688,022

टिप्पणी '9' : अल्पावधि प्रावधान

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान		600,000
क) उपदान	**422,630,996**	-
ख) छुट्टी का नकदीकरण	**506,747,984**	596,951,921
ग) अन्य सुविधाएं	**2,114,497**	1,138,136,101
कुल	**931,493**	**1,735,688,022**

टिप्पणी '10' : स्थिर परिसंपत्तियां

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2015 को	जोड.	कटौती/ समयोजन	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के लिए	कटौती/ समयोजन	31 मार्च, 2016 तक कुल	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
	मूर्त परिसंपत्तियां										
क)	भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख)	बिल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग)	प्लांट तथा उपस्कर										
	वर्कशॉप उपस्कर, यंत्र,	1,584,941,145	112,996,385	9,455,259	1,688,482,271	191,639,016	366,380,331	(5,046,702)	552,972,645	**1,135,509,626**	1,393,302,129
	मशीनरी तथा प्लांट	109,887,739		-	109,887,739	17,850,027	5,925,655	-	23,775,682	**86,112,057**	92,037,712
घ)	फर्नीचर तथा फिक्सचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ)	वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च)	कार्यालय उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	मूर्त परिसंपत्तियों का कुल	**1,694,828,884**	**112,996,385**	**9,455,259**	**1,798,370,010**	**209,489,043**	**372,305,985**	**(5,046,702)**	**576,748,327**	**1,221,621,683**	**1,485,339,841**
	अमूर्त परिसंपत्तियां										
क)	सद्भावना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख)	ब्रांड/ट्रेडमार्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेअर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ)	लाइसेंस तथा मताधिकार	2,713,828,069	-	-	2,713,828,069	-	-	-	-	**2,713,828,069**	2,713,828,069
	अमूर्त परिसंपत्तियों का कुल	**2,713,828,069**	**-**	**-**	**2,713,828,069**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,713,828,069**	**2,713,828,069**
	कुल परिसंपत्तियां	**4,408,656,953**	**112,996,385**	**9,455,259**	**4,512,198,079**	**209,489,043**	**372,305,985**	**(5,046,702)**	**576,748,327**	**3,935,449,752**	**4,199,167,910**
	पिछले वर्ष	-	4,408,656,953	-	4,408,656,953	-	209,489,043	-	209,489,043	4,199,167,910	-

टिप्पणी: 1. एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) तथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल) के बीच दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार एअर इंडिया लिमिटेड एमआरओ इकाई से संबंधित सभी चल परिसंपत्ति जैसे मशीनरी, उपस्कर आदि दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को ऐसी चल परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य पर एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित करेगी। समझौता ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि एअर इंडिया लिमिटेड से एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को ह्रासित मूल्य पर स्थानांतरित की गई चल परिसंपत्ति ऐसी संपत्तियो का मूल्य होगी तथा प्रारंभिक इक्विटी अंशदान का भाग होगी।

टिप्पणी '11' : दीर्घावधि ऋण तथा अग्रिम

(राशि रुपयों में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
क	**संबंधित पार्टियों को ऋण तथा अग्रिम**		
	रक्षित शोध्य माने गए		-
	अरक्षित शोध्य माने गए		515,861,423
	संदिग्ध		
		-	**515,861,423**
ख	**कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम**		
	रक्षित शोध्य माने गए	**912**	-
	अरक्षित शोध्य माने गए	**14,428,680**	1,710,757
	संदिग्ध	**-**	-
		14,429,592	**1,710,757**
ग	**नकद या उसके बदले में वसूली योग्य अग्रिम**		
	रक्षित शोध्य माने गए		
	अरक्षित शोध्य माने गए	**5,798,975**	-
	संदिग्ध	**-**	-
		5,798,975	**-**
घ	**डीजीसीए के साथ सुरक्षा जमा**	**200,000**	-
		200,000	**-**
	कुल (क+ख+ग+घ)	**20,428,566**	**517,572,180**

टिप्पणी '12' : व्यापार से प्राप्य

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
क छः माह से अधिक के लिए देय		
रक्षित शोध्य माने गए	-	-
अरक्षित शोध्य माने गए		159,946,115
संदिग्ध		
	-	**159,946,115**
ख अन्य प्राप्य		
रक्षित शोध्य माने गए	-	-
अरक्षित शोध्य माने गए	**619,760,768**	160,551,316
संदिग्ध	-	-
	619,760,768	**160,551,316**
कुल (क+ख)	**779,706,883**	**160,551,316**

टिप्पणी '13' : नकदी तथा बैंक शेष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
नकदी तथा नकदी समानक		
1 **बैंकों के पास शेष**		
क) चालू खाते में	**440,028,060**	407,077,538
ख) जमा खाते में (परिपक्वता 12 महीनों से कम)	-	1,979
2 चैक, हाथ में ड्राफ्ट	**500,000**	-
3 हाथ में नकद (जैसाकि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है)	**7,020**	-
4 मार्जिन धन/प्रतिभूति जमा	**56,523**	50,000
कुल	**440,591,603**	**407,129,517**

टिप्पणी '14' : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
क राजस्व प्राधिकरणों के पास शेष प्राप्य स्रोत पर कर की कटौती	10,883,566	105,940
ख कर्मचारियों के लिए ऋण पर अर्जित ब्याज	269,750	
ग व्यय		
कुल	**11,153,316**	**105,940**

टिप्पणी '15' : प्रचालन से राजस्व

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	**सेवाओं की बिक्री**		
	तकनीकी हैंडलिंग सेवा राजस्व	**34,570,653**	1,351,319,149
	एमआरओ सेवा राजस्व		
	अन्य सेवा राजस्व	**6,146,649,216**	67,962,269
		6,181,219,869	**1,419,281,418**
2	**अन्य प्रचालनात्मक राजस्व**		
	इंजीनियरी प्रशिक्षण राजस्व	**20,347,206**	777,412
		20,347,206	**777,412**
3	**आकस्मिक राजस्व**	**1,146,703**	-
		1,146,703	**-**
	प्रचालन से कुल राजस्व	**6,202,713,779**	**1,420,058,830**

टिप्पणी '16' : अन्य आय

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	बैंक से ब्याज से आय	**4,544**	1,979
2	लाभांश से प्राप्य आय	**-**	-
3	संपत्ति/स्क्रैप की बिक्री पर लाभ		-
	कुल	**4,544**	**1,979**

टिप्पणी '17' : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	वेतन तथा मजदूरी	**7,793,815,412**	1,752,007,495
2	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**348,649,757**	74,089,112
3	कर्मचारी कल्याण व्यय	**442,104,339**	370,557,420
4	उपदान के लिए प्रावधान	**940,399,631**	402,120,708
5	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**784,298,406**	341,433,326
	कुल	**10,309,267,545**	**2,940,208,061**

टिप्पणी '18' : वित्तीय लागत

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	वित्तीय लागत	**56,390,370**	-
	कुल	**56,390,370**	**-**

टिप्पणी '19' : मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	**372,305,985**	209,489,043
2	अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	**-**	-
	कुल	**372,305,985**	**209,489,043**

टिप्पणी '20' : अन्य व्यय

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2013-14
1	बीमा व्यय	**104,716**	2,491,630
2	बाहरी मरम्मत–विमान	**516,967**	-
3	संप्रेषण प्रभार	**1,717,766**	2,724,717
4	यात्रा व्यय	**180,733,425**	127,173,754
5	किराया	**213,231,680**	162,370,374
6	दर तथा कर	**34,009,299**	801,054
7	वाहन व्यय	**797,008**	2,780,074
8	मरम्मत अनुरक्षण	**28,002,742**	1,667,378
	i) बिल्डिंग	**62,460,961**	78,030,292
	ii) अन्य	**25,105,271**	7,224,257
9	किराए पर ट्रांसपोर्ट	**43,763,548**	11,263,759
10	किराए पर जनशक्ति	**4,301,165**	1,593,592
11	नागर विमानन महानिदेशालय को शुल्क	**375,203,036**	274,034,917
12	इलेक्ट्रिसिटी तथा हीटिंग प्रभार	**12,901,350**	3,147,524
13	गैस तथा ईंधन की खपत	**7,331,289**	468,680
14	जल प्रभार	**360,245**	155,347
15	प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी	**7,679,713**	2,275,145
16	व्यावसायिक तथा विधि प्रभार		
17	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तथा व्यय	**200,000**	200,000
	i) लेखापरीक्षा शुल्क	**50,000**	50,000
	ii) अन्य व्यय	**38,168**	4,175
18	बैंक प्रभार	**62,988,573**	17,582,769
19	अन्य व्यय	**316,155**	-
20	विनिमय विविधता	**305,855**	-
21	संपत्ति/स्क्रैप की बिक्री पर नुकसान		
	कुल	**1,062,118,933**	**696,039,436**

टिप्पणी '21' : पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	पूर्वावधि राजस्व	**(11,155,179)**	-
	कुल	**(11,155,179)**	

टिप्पणी '22' : प्रति शेयर अर्जन

भारतीय सनदी लेखाकार के लेखाकरण मानक–20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) संगणना का प्रकटन

	2015-16	2014-15
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	**(5,586,209,333)**	(2,425,675,731)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**505,236**	50,000 -
मूल तथा तनुकृत अर्जन प्रति शेयर	**(11,056,63)**	(48,513.51)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	**10**	10

नोट 23

लेखाकरण पर टिप्पणी

1. **प्रासंगिक देयताएं हेतु प्रावधान नहीं**—कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जिनकी ऋण के रूप में पहचान नहीं की गई है (जहां भी लागू हो ब्याज एवं जुर्माना छोड़कर) एवं जिनको अभिनिश्चयन एवं परिमापन की सीमा तक चुनौती दी गई है।

   कर्मचारियों का अनुमानित दावा: न्यायमूर्ति जस्टिस धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए परिशोधित मूल वेतन (आरबीपी) लागू किया गया है, तथापि कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को देय कुल राशि की गणना नहीं की जा सकती। पिछले वर्ष के लेखे में प्रासंगिक के रूप में दर्शाई गई राशि एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुमान के आधार पर की गई गणना पर आधारित थी।

   पूंजीगत लेखे पर संविदा पर निष्पादन के लिए शेष अनुमानित राशि के संबंध में पूंजीगत प्रतिबद्धता : शून्य।

2. **स्थिर परिसंपत्तियां** –

   क) समझौता ज्ञापन के अनुसार, ''वर्कशॉप उपकरण'' तथा ''प्लांट और मशीनरी'' संबंधी चल इंजीनियरी परिसंपत्तियों को 1 अप्रैल, 2014 को संचित मूल्यह्रास सहित सकल प्रखंड को 166,61,65,000/– करोड़ रुपए के ह्रासित मूल्य पर एअर इंडिया से स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 के दौरान क्रमशः 2,86,63,884/– करोड़ रुपए तथा 5,88,73,802/– करोड़ रुपए के ह्रासित मूल्य की परिसंपत्तियों की पहचान भी की गई और तत्पश्चात एअर इंडिया से स्थानांतरित की गई, जो शेयर पूंजी का भाग नहीं है।

   ख) एअर इंडिया के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार स्थिर परिसंपत्तियों का विवरण (मात्रा/स्थान/वास्तविक खरीद की तिथि) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड स्थिर परिसंपत्तियों के एसएपी–ईआरपी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

3. **अपनाई गई लेखाकरण पद्धतियां :**

   क) मूल कंपनी द्वारा लागू पद्धति के आधार पर कर्मचारियों द्वारा लिए जा रहे चिकित्सा, शैक्षणिक दावों की प्रतिपूर्ति और बिना वेतन छुट्टी, आपूर्तिकर्ताओं/अन्य पार्टियों के ब्याज के दावे यदि कोई हो, अनिश्चित होने के कारण नकद आधार पर हिसाब रखा जाता है। अन्य कर्मचारी दावे नकद आधार पर दर्शाए जाते हैं।

   ख) व्यय पर भुगतान की राशि की देयता की पहचान दावे/इनवॉइस प्राप्त होने के पश्चात की जाती है।

4. **पुष्टिकरण/समाधान**

   क) मेल न खा रहे प्राप्यों तथा देय बकायों के मिलान/समाधान की प्रक्रिया जारी है। समाधान के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन के प्रभाव, यदि कोई, का समाधान पूरे होने के वर्ष में निपटान किया जाएगा।

   ख) कंपनी ने प्राप्य तथा देय बकायों की पुष्टि नहीं मांगी है क्योंकि उक्त में से अधिकांश एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा देय/एअर इंडिया लिमिटेड के लिए थे। अतः केवल एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड से संबंधित प्राप्यों तथा देय बकायों को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता।

   ग) प्राप्त किए जाने वाले इनपुट क्रेडिट, स्रोत पर की गई कर की कटौती (टीडीएस) आयकर के संबंध में मिलने वाली धन वापसी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस), व्यवसाय कर, एअरपोर्ट कर तथा राजस्व संबंधी करों सहित सेवा कर फाइल की गई विवरणी/रखरखाव किए गए सांविधिक रिकार्डों के अनुरूप समाधान की प्रक्रिया में है।

5. आंतरिक नियंत्रण

कंपनी आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया को मजबूत बनाने में लगी है ताकि कंपनी के भीतर सभी क्षेत्रों को, जैसा कि सोचा गया है, शामिल किया जा सके तथा स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, उपभोक्ता विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

6. राजस्व संबंधी मामले

वर्ष के दौरान एअर इंडिया तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा इनवॉइस बनाकर और एकत्र करके कंपनी में स्थानांतरित किया गया राजस्व थर्ड पार्टी राजस्व के अंतर्गत आता है।

7. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी एमआरओ (विमानों, इंजन एवं उसके घटकों के अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल) से संबंधित व्यवसाय करती है, जो कि उसका प्रमुख व्यवसायिक सेगमेंट है।

8. संबंधित पार्टी लेन–देन

लेखाकरण मानक (एएस–18) द्वारा अपेक्षित, 'संबंधित पार्टी प्रकटन' निम्नानुसार है :

मुख्य प्रबंधन कार्मिक तथा संबंधी (1 अप्रैल, 2015 से 15 दिसंबर, 2016)

क्र.सं.	नाम	बोर्ड पर पद	पदनाम
1	श्री अश्वनी लोहानी	अध्यक्ष	एअर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 / 08 / 2015 से नियुक्त)
2	श्री रोहित नंदन	अध्यक्ष	एअर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 / 08 / 2015 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नहीं रहे)
3	श्री एस. वेंकट	निदेशक	निदेशक–वित्त, एअर इंडिया लिमिटेड (31 / 10 / 2015 से निदेशक के पद पर नहीं रहे)
4	श्री बी.एस. भुल्लर	निदेशक	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (03 / 02 / 2015 से नियुक्त)
5	सुश्री गार्गी कौल	निदेशक	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय, (06 / 05 / 2015 से नियुक्त)
6	श्री विनोद हेजमाडी	निदेशक	निदेशक–वित्त, एअर इंडिया लिमिटेड (07 / 12 / 2015 से निदेशक के पद पर नियुक्त)

वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों अथवा अधिकारियो अथवा उनके रिश्तेदारों के पास कोई ऋण अथवा क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लेखा में दर्शाना अपेक्षित है।

जैसाकि लेखाकरण मानक–18 में उल्लिखित है मूल कंपनी तथा उसकी सहायक कंपनियां सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम है और इसलिए कंपनी द्वारा मूल कंपनी तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किया गया लेन देन संबंधित पार्टी लेनदेन के अंतर्गत नहीं आता।

(क) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड 01 जनवरी, 2015 से अपने वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ कर सकी क्योंकि केवल उसी तारीख को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रमाणीकरण जारी किया गया। एअर इंडिया ने अलग–अलग करार किए हैं, जो सेवा स्तर गुणवत्ता (एसएलए) तथा कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के

लिए भुगतान किए जाने वाले दरों को परिभाषित करते हैं। इन सेवाओं को प्रदान करने की लागत के साथ–साथ बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए इन दरों का निर्धारण किया गया है। इन दरों के निर्धारण से आर्म्स लेंथ लेन–देन के सिद्धांत को अपनाया गया है। इन दरों को बाज़ार दरों के अनुसार रखने के लिए वार्षिक आधार पर उनकी समीक्षा की जाएगी।

(ख) वर्ष के दौरान एअर इंडिया एवं उसकी सहायक कंपनियों द्वारा इनवाइस बनाकर और एकत्र करके कंपनी में स्थानांतरित किया गया राजस्व थर्ड पार्टी राजस्व के अंतर्गत आता है और साथ ही लागू करों का भी उनके द्वारा थर्ड पार्टी के लिए इनवाइस बनाया गया हो।

मूल एवं उसकी सहायक कंपनियां

क) एअर इंडिया लिमिटेड

वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी ने अपनी मूल कंपनी अर्थात एअर इंडिया लिमिटेड (एआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया जिसके अनुसार एअर इंडिया को अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित भी शामिल है :–

1. एअर इंडिया ने अपना एमआरओ बिजनेस (अवसंरचना सहित) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।
2. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड एमआरओ गतिविधियों को चलाने के लिए डीजीसीए सहित सभी संबंधित सांविधिक एवं विनियामक प्राधिकरणों/एजेंसियों से आवश्यक मंजूरी/लाइसेंस आदि प्राप्त करेगा।
3. एअर इंडिया, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को पहले तीन वर्षों के लिए रू. 375 करोड़ की कुल इक्विटी तथा वित्त वर्ष 2017 तक रू. 974 करोड़ तक का आवश्यक पूंजीगत व्यय प्रदान करेगी।
4. एअर इंडिया एमआरओ से संबंधित अपनी सारी चल संपत्ति स्थानांतरित करेगी और चल संपत्तियों की कीमत एअर इंडिया द्वारा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित की जाएगी जिसे एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड में प्रारंभिक इक्विटी/निवेश माना जाएगा, जो कि उपरोक्त रू. 375 करोड़ के कैश इंफ्यूजन के अतिरिक्त होगा।
5. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को प्रचालन के चौथे वर्ष से या जैसा भी आपसी करार हो थर्ड पार्टियों से प्राप्त श्रमिक राजस्व का 20% देना होगा।

कंपनी से संबंधित निम्नलिखित लेन–देन मूल कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा निम्नानुसार हस्तांतरित किए गए हैं:

i) 44,21,04,339/– करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 37,05,57,420/– करोड़ रूपए) के कर्मचारी कल्याण व्ययों तथा 106,53,96,043/– करोड़ रूपए के अधिकतर अन्य व्ययों का लेखाकरण मूल कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा हस्तांतरित के रूप में किया गया।

ii) 10,88,93,683/– करोड़ रूपए की स्थिर परिसंपत्ति में किए गए कुल जोड़ में से 5,88,73,802/– करोड़ रूपए एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान हस्तांतरित किए गए, जो वित्तीय वर्ष 2014–15 में हस्तांतरित किए जाने से हटाए गए थे तथा समझौता ज्ञापन में निर्धारित किए गए अनुसार इक्विटी अंशदान का वह भाग नहीं है।

iii) 477,80,88,439/– करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 111,78,78,250/– करोड़ रूपए) का सर्विसिंग राजस्व।

iv) 198,27,59,973/– करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 48,35,91,505/– करोड़ रूपए) की देय राशि कंपनी द्वारा एअर इंडिया लिमिटेड को 31 मार्च, 2016 को दी जानी नियत है।

ख) एअरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड (एएएसएल)

वर्ष 2013–14 के दौरान एअर इंडिया की संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एअरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया जिसमें एअरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड ने अपनी एमआरओ गतिविधियों को (अवसंरचना सहित) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया एवं एअरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड ने इस बात पर भी सहमति दी कि वो अपने संपूर्ण बेड़े का सारा एमआरओ से संबंधित कार्य एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को ही देगा।

इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, एअरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड अपने एमआरओ बिजनेस को एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित करने के अलावा इंजीनियरी संबंधी परिसंपत्तियों एवं जनशक्ति तथा अन्य सहायता आदि भी स्थानांतरित करेगा। तथापि परिसंपत्ति एवं कर्मचारी अभी भी एअरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के लेखा खाते में हैं। एअरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड ने अन्य खर्चों के अलावा इंजीनियरी जनशक्ति तथा लंबित इंजीनियरी कार्मिकों के स्थानांतरण लंबित रहने तक वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी को बिल प्रस्तुत किया/डेबिट किया।

15,40,72,819/– करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 3,11,45,772/– करोड़ रूपए) का सर्विसिंग राजस्व।

15,16,45,756/– करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6,28,97,979/– करोड़ रूपए) की राशि 31 मार्च, 2016 को कंपनी द्वारा एएएसएल को देय है।

ग) एअर इंडिया चार्टर्स लि. (एआईसीएल)

वर्ष 2014–15 के दौरान एअर इंडिया की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एआईसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया जिसमें एआईसीएल ने अपनी एमआरओ गतिविधियों (अवसंरचना सहित) को एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है और एआईसीएल ने इस बात पर भी सहमति दी है कि वह अपने संपूर्ण बेड़े का एमआरओ से संबंधित सारा कार्य एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को ही देगा।
एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को एमआरओ सेवाओं को प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र एंटिटी के रूप में केबिनेट की मंजूरी मिलने के परिणामस्वरूप तारीख 07.08.2014 को इस संबंध को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए एआईसीएल एवं एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार एआईसीएल अपने एमआरओ बिजनेस के साथ–साथ इंजीनियरी से संबंधित परिसंपत्तियां एवं जनशक्ति तथा अन्य सहायता आदि भी स्थानांतरित करेगा। तथापि परिसंपत्ति एवं कर्मचारी अभी भी एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के लेखा खाते में दर्शाए गए हैं। एअरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड ने अन्य खर्चों के अलावा इंजीनियरी जनशक्ति तथा इंजीनियरी कार्मिकों के स्थानांतरण लंबित होने तक वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी को बिल प्रस्तुत किया/डेबिट किया गया।

46,17,63,892/– करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 16,50,41,100/– करोड़ रूपए) का सर्विसिंग राजस्व।

घ) एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएटीएसएल)

8,09,16,138/– करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 3,22,69,918/– करोड़ रूपए) की देय राशि कंपनी द्वारा एअर इंडिया लिमिटेड को 31 मार्च, 2016 को दी जानी नियत है।

9. कर्मचारी हितलाभ

(क) परिभाषित हित लाभ योजना का सामान्य विवरण

क) **उपदान** : उपदान भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को अधिवर्षिता, मृत्यु स्थायी अशक्तता होने पर उपदान देय होता है।

ख) **प्राधिकार छुट्टी नकदीकरण** : सेवानिवृत्ति के समय सभी पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 300 दिनों तक की विशेषाधिकार छुट्टी नकदीकरण देय है तथा हर वर्ष 30 दिनों तक का नकदीकरण किया जा सकता है।

ग) **बीमारी की छुट्टी का नकदीकरण** : सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 120 दिनों तक की बीमारी छुट्टी का नकदीकरण इस शर्त पर करा सकते हैं कि कर्मचारी के खाते में उस समय कम से कम 60 दिनों की बीमारी की छुट्टी शेष हों। मूल कंपनी द्वारा यह निर्णय भी लिया गया था कि तारीख 01.07.2012 को सभी मौजूदा कर्मचारियों के जमा खाते में शेष बीमारी की छुट्टी फ्रीज हो जाएगी और कर्मचारी केवल सेवानिवृत्ति के समय उन छुट्टियों का नकदीकरण इस शर्त पर करा सकेगा कि उसने सेवानिवृत्ति के समय वे छुट्टियां समाप्त न कर दी हों। इसके अतिरिक्त एअर इंडिया द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि तारीख 01.07.2012 के बाद जमा की गई बीमारी की छुट्टियों का नकदीकरण नहीं किया जाएगा और कर्मचारी को वे छुट्टियां लेनी ही होंगी अथवा वह समाप्त हो जाएंगी।

(ख) परिभाषित अंशदायी योजना

कर्मचारी भविष्य निधि : भविष्य निर्वाह निधि अधिनियम के अधीन कंपनी एअर इंडिया तथा उसकी सहायक एअरलाइनों के कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के लिए अंशदान करती है, जो पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजनाओं को नियंत्रित करता है। कंपनी तथा कर्मचारी निधि में भविष्य निधि वेतन का 10 प्रतिशत का अंशदान देते हैं जिसमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है ।

10. आस्थगित कर परिसंपत्तियां

कंपनी की हाल में हुई हानियों को तथा भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय की संभावना की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए जिसके समक्ष आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की जा सके, उसको बही खाते में लेखाकृत नहीं किया गया है।

11. सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्यम विकास अधिनियम

सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों से संबंधित आंकड़ें उपलब्ध नही हैं और सैप में संकलित/मास्टर्स अद्यतन करने की प्रक्रिया चालू है। तथापि, सूक्ष्म, छोटे और मझोले विकास अधिनियम के तहत (पहचान की गई सीमा तक) आने वाले ऐसे उपक्रमों को स्वीकृत किए गए स्तर तक का भुगतान (देय, यदि कोई हो तो) सप्लायर की स्वीकृति से निर्धारित समय सीमा/तिथि के भीतर किया गया है और इसलिए विलंबित भुगतानों के लिए कोई ब्याज देय नहीं है। अन्य मामलों में, आवश्यक अनुपालन/प्रकटीकरण नियत अवधि में सुनिश्चित किया जाएगा।

12. मूल कंपनी ने एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड में ईआरपी–सैप कार्यान्वित किया है एवं नियमित एएमसी व्यय को एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को यथानुपात लगाया गया है।

13. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया वहां, संकलन की व्यवहारिकता और उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए, री–ग्रुप/री–अरेंज कर दिया गया है।

तुलन पत्र तथा लाभ–हानि खातों के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के लिए हस्ताक्षर।

झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स
के लिए एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 113221डबल्यू

हस्ता./–
(बी.पी.मंत्री)
भागीदार सदस्यता सं. 045701

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 मार्च, 2017

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./–
(अश्वनी लोहानी)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(वी.एस. हेजमाडी)
निदेशक–वित्त

हस्ता./–
(सी.एन.हेमलता)
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
(एच.आर. जगन्नाथ)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी